केवल मैडीकल व्यवसायियों के लिए

मैडीकल दर्पण

Editor- Brijesh Garg | www.medicaldarpan.com | Monthly News Paper

B.N. Medical Complex, Bulandshahr (U.P.) Postal Reg. No.- BSR 56/2023-2025 RNI UPBIL/2010/44113

Year 17 | Issue 09 | D.O.P. 01 JUNE 2024 | Pages 16 | ₹10/- Copy | ✆ 09045029158 | medicaldarpan.ctp@gmail.com

PCD / FRANCHISEE

V & U Pharmaceuticals

Quality ☑ Service ☑ Reliability ☑ (Guarantee)

Where Quality is the Core

All Products of V & U Pharmaceuticals are manufactured under stringent quality control in approved manufacuring facilities.

WHO GMP CERTIFIED · GMP · ISO 9001 CERTIFIED

A NAME SYNONYMOUS TO QUALITY & TRUST

INVITING PROPOSAL FOR FRANCHISEE ACROSS COUNTRY

1. One of the best quality products and packaging.
2. Attractive Pricing.
3. Comprehensive & expanding produt basket
4. Expert Marketing Support/ Print Inputs.
5. Attractive Bonanza

TABLETS/CAPSULES
SYRUPS/LIQUIDS
RESPULES/ROTACAPS
DEVICES/CREAMS

V & U PHARMACEUTICALS

Contact: 7017051435/9999355975

H-1.39N,RIICO Industrial Area, Khushkhera, Bhiwadi, Distt:Alwar, Rajasthan 301707

sales@vnupharmaceuticals.com; vnupharmaceuticals@gmail.com

www.vnupharmaceuticals.com

Our General Divisions

MERRIL · MESTRA · STERILE GENETICS

For any query :- 9719839944 (Call & SMS)

We have more than 2000 Products in our Successfully Running Company.

New Molecules available

Natural Progesterone 200/300/100 mg Tab.
Rifaximine 200/400/550 & Metronidazole 400 mg Tab.
Sultamycillin 375 mg Tab.
Dydrogesterone Tablets IP 10 mg

Emocare (A Neuro-Psychiatrist Division)	NUECAD (Cardiac-Diabetic division)	Womana (Gyne-infertility division)	BEAUKIN (A Derma Division of Merril Pharma)
Piraciti-Plus — Citicoline 500mg + Piracetam 800mg Tab.	Metolip-ER 25/50 — Metoprolol Tartrate 25/50 (ER)	Gensure-Sachet — L-Arginine 3gm. + Proanthocyanidin 75 mg.	Antihist-D — Desloratadine 10 mg.
Velpy-200/300/500 — Sodium Valporate With Valporic Acid	Nuepido-AS — Clopidogrel 75 mg +Aspirin 75 mg	Gensure-LC — L-Carnitine + Co-Enzyme + Astaxanthin + Piperin + Lycopene+ Zinc Sulphate	Tacroril — Tacrolimus Cream 0.03
Emofexine Tab. — Desvenlafaxine 50mg ER	Nuepido-Plus — Clopidogrel 75 mg +Aspirin 150 mg	NMPC-softgel/SR tab/ Inj. — Natural Micronised Progesterone B.P. 100/200/300 mg.	Candigel — Luliconazole 1.0% w/w
Emofexine Plus -50 — Desvenlafaxine 50 mg + Clonazepam 0.5 mg	Tenzex-M — Teneligliptin 20mg + Metformin Hydrochloride 500mg	Gensure-F — Folic Acid, Inositol, L-Arginine, Selenium Grape Seed Extract, Lycopene, Vitamins & Zinc	Eberil — Eberconazole 30 mg

Registered Office :-A-401/402, Empire Business Hub, Science City Road, Ahmedabad-380060 (Gujarat)-India,

Email : order@mestrapharma.com, **Website :** www.mestrapharma.com

DydroBest (A Gynaecology division of Best Biotech) · Best BEST BIOTECH

In

Female Infertility & Painful Menstrual Disorders

Dydrobest®

Dydrogesterone 10 mg. TABLETS

- Female Infertility
- High Risk Pregnancy
- Endometriosis
- Irregular Menstrual Disorders
- Premenstrual Syndrome (PMS)

Rx Dydrogesterone Tablets IP 10 mg · Dydrobest · 10 x 1 x 10 Tablets

A true partner in *Successful pregnancy*

For trade enquiries please Call

91 9866908086

e-mail: bestbiotech4u@gmail.com,
Website: www.bestbiotechindia.com

Hillwin Pharmaceuticals

WHO GMP CERTIFIED

THIRD PARTY MANUFACTURING & FRANCHISEE/PCD

Best quality of efficiency Product we directly approved by WHO GMP

With the Wide Range of :

Tablets | Capsules | Liquids | Dry Syrup | Injectables
Drops | Lotions | Gels | Ointments | Shampoos
Protein Powders | Ayurveda Products | Neutraceuticals

Excellent Packing Like Alu-Alu, Blister & Strip Packing

Brand Promotional Input Like...

Visual aid · Sample Catch covers · Visiting Cards · Product Literature · MR Bags · DCR Pad · Gifts

Trade Enquiries are Welcome for Third Party MFG. / PCD Franchises Distribution on Monopoly basis in PAN India.

CALL US : +91 8476855579 , 9476782423

Head Office : B-39, New Shopping Complex, Opp. PNB Bank Shivalik Nagar, Haridwar (U.K.)

Biounity Pharma (Your good health is our target)

THIRD PARTY MANUFACTURING SERVICE

Committed to Healthcare through Innovation & Quality

100% SATISFACTION · BEST QUALITY

WE OFFER

- MORE THAN 1000 PRODUCTS
- EXCEPTIONAL PROFIT MARGIN
- PROMPT / TIMELY DELIVERY
- COMPLETE MONOPOLY RIGHTS
- EXCLUSIVE PROMOTIONAL MATERIAL
- ATTRACTIVE PACKING

CONTACT FOR BEST RATE IN THIRD PARTY MANUFACTURING

8449549885
8476946001

po.pharmabiounity@gmail.com,
mkt.biounitypharma@gmail.com

Wide Therapeutic Range

Orthopadic Gyneccare Gastroenterology	Anti-Infective Urology Care Anti-Allergic	Cardiovascular Anti-Diabetic Cough & Cold
Bronchodilator Paediatric Respiratory	Injectables Neuropsychiatry Nutritional Supplements	OTC Products Derma Care Eye/Ear/Nasal Drops

BEST THIRD PARTY INJECTABLES (AMPOULES) MANUFACTURERS COMPANY IN INDIA

SMAYAN HEALTHCARE www.smayan.in

WHO · ISO · GMP

Attractive Packaging
Timely Delivery
Quality Range

For Enquiries Contact:

Smayan Healthcare Pvt. Ltd.

Head Office: SCO - 167, First Floor, Sector - 38 C, Chandigarh, India - 160036

Manufacturing Unit: Plot No. 8-9-26-27, HPSIDC, Industrial Area, Davni, Baddi, District - Solan, (H.P.), 173205

Email: manager@smayan.in, Contact No: +91 - 8591978885 , +91 76967 63030

Soft Gelatin | Injection (Ampoules) | Liquids | Cosmetic | Nasal Spray | Lotions | Ointments | Dusting Powder

Geneka गिनिका Group

Our Plants

JINEKA HEALTHCARE PVT. LTD.
JINEKA HEALTCHARE -1
JINEKA HEALTHCARE -2
GENEKA DRUG PVT. LTD.
VEDA GENEKA
GENEKA PHARMACEUTICALS PVT. LTD.-JAMMU
GENEKA FOILS

We are Having Following Facilities :

TABLETS · CREAM/OINTMENT · SOFT-GELATIN CAPSULE · HARD-GELATIN CAPUSLE · LIQUID INJECTABLE · LIQUID ORALS · VETERINARY PREPARATION · MEDICATED SOAPS · EXTERNAL PREPARATION · EXTERNAL PREPARATION · ORAL POWDER · DRY INJECTABLE · HORMONAL LIQUID INJECTION · NUTRACEUTICAL PRODUCT · BETA-LACTUM TABLETS · FOOD SUPPLEMENT · AEROSOL SPRAY · HORMONAL TABLETS · CLAVULANIC ALL RANGE · PALLETS

We are now having Soft gelatin Formulation in Drug

CONTACT INFORMATION :

CONTACT PERSON

Mr. SANKET SHARMA
Mobile : +91-8394904000
E-mail : sanket.jineka@gmail.com

M/S JINEKA HEALTH CARE PVTLTD
Plot No.15, Sector 6B IIE Ranipur
SIDCUL, Haridwar, Uttarakhand (INDIA)
Website : www.genekagroup.in

Follow us:

लापरवाही

कोझिकोड: प्राप्त समाचार के अनुसार केरल में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा पर लापरवाही के आरोप लगातार जारी हैं। एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि दूसरे मरीज के लिए बनाया गया इम्प्लांट उसके टूटे हाथ में गलत तरीके से लगा दिया गया। जिसका पता उसे कुछ समय बाद चला था, ताजा आरोप चार साल की बच्ची की छठी उंगली निकालने के बजाय उसकी जीभ का ऑपरेशन करने के आरोप में एक डॉक्टर को निलंबित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है।

अधिकारी ने पीटीआई को बताया, उस व्यक्ति ने अपनी सर्जरी को लेकर कुछ संदेह व्यक्त किए तथा उसने न्याय मिलने के लिए पुलिस में गुहार लगाई है। शिकायत में किए गए दावे की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है। बीच अस्पताल (सरकारी सामान्य अस्पताल) से रेफर किए जाने के बाद व्यक्ति को सर्जरी के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे सड़क दुर्घटना के बाद भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद एक्स-रे में कथित तौर पर उपचार में त्रुटि का पता चला। इस मुद्दे पर अस्पताल या राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

"Excellence In Healthcare Everyday"
DEUS
LABORATORIES PVT. LTD.
Deus Laboratories Pvt. Ltd
A wide range of speciality products in Third Party Manufacturing, PCD Franchises, Generic & OTC including Tablets, Capsules, Liquids, Ointments, Dry Syrups, Lotions & Neutraceutical Products.
Requires:
* Financially sound parties for state wise monopoly rights.
* Sales Promotional Managers state wise.
DEUS LABORATORIES PVT. LTD.
Manufacturing Unit:
Khasra No. 26 kA Shiv Ganga Industrial Estate
Village. Lakeshwari, Bhagwanpur Roorkee
District. Haridwar Uttrakhand 247661
Corporate Office:
2nd Floor SLV Tower Kanwali Road,
Near Balliwala Chowk Dehradun
Uttrakhand 248001
Contact Details:
Head Office: 7773006620
Sales: 8006077773
Production:8006077772
Designing: 7060028254
Customer Care: +91 135 314 4200
Mail: deuslaboratories@gmail.com

FOR SALE
A Running pharmaceutical factory having Tablet, Capsule (Non Betalactum) at Himachal Pradesh near Nagal Dam in 500 sqmt
contact
9872632702
sarwalpharma@yahoo.co.in

ट्रामाडॉल नशीली दवा की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

लखनऊ: ट्रामाडॉल नशीली दवा की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी ऑनलाइन डेटा एकत्र कर विदेशों में प्रतिबंधित दवाइयां कोरियर से सप्लाई करते थे। एसटीएफ ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग के तीन सदस्यों को चिनहट थानाक्षेत्र स्थित टाटा टेल्को कंपनी के पास से अरेस्ट किया है। तीनों आरोपियों के पास से नशीली दवा ट्रामाडॉल की 13,500 गोलियां बरामद की हैं। बताया गया है कि तीनों तस्कर साहिल उर्फ हैदर अली उर्फ साहिल मुखौटा, अब्दुल्ला सुहैल उर्फ अंधा व मोहम्मद एनफ उर्फ दानिश कालिया राजधानी के मदेयगंज इलाके के रहने वाले हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी : एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक सिंह ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य साहिल के बारे में सूचना मिली थी। बताया गया था कि वह अपने साथियों से चिनहट में टाटा टेल्को कंपनी के गेट के पास मिलने के लिए आएगा। सूचना के तहत एसटीएफ ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के साथ मौके पर जाकर दबिश दी और तीनों तस्करों को दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनका गिरोह अंत. रराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करता है। साहिल व अब्दुल्ला डार्कवेब व व्हाईट वेबसाइट के माध्यम से भारत, यूएसए सहित अन्य कई देशों के ग्राहकों का डाटा जुटाते थे। इसके बाद टेक्स्ट नाउ, सेकंड लाइन एप आदि एप्लीकेशन के जरिये वर्चुअल नंबर प्राप्त करके संपर्क करते। जिस कस्टमर को नशीली दवाओं की जरूरत होती है, उनसे कैश एप, वेनमो, पेपल जैसे पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसे प्राप्त कर दवाएं उपलब्ध कराते हैं।

कॉकटेल मेडिसिन (एफडीसी) पर जल्द लगेगा बैन, सरकार तैयारी में जुटी

नई दिल्ली: कॉकटेल मेडिसिन (एफडीसी) पर जल्द ही बैन लगने जा रहा है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध रोकने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों से कॉकटेल दवाओं की बिक्री की जानकारी मांगी है। बता दें कि जनवरी माह में औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया था कि देश में एंटीबायोटिक दवाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिरोध रोकने के लिए सरकार ने कॉकटेल दवाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों से इन दवाओं की बिक्री का ब्योरा मांगा है।

ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने राज्यों से दो सप्ताह के भीतर बाजारों में बेचे जाने वाले एंटीबायोटिक संयोजनों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस साल जनवरी में औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ कि देश में एंटीबायोटिक दवाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके लिए एक उप समिति का गठन करने का निर्णय हुआ। समिति की पहली बैठक एक मई को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुख्यालय पर हुई, जिसमें संयोजन वाली एंटीबायोटिक दवाओं की निगरानी करने का फैसला हुआ। ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह ने सभी राज्यों को पत्र लिखते हुए कहा है कि निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) ऐसी दवाएं हैं जो एक ही गोली में एक से अधिक दवाओं को मिलाती हैं। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। अगले दो सप्ताह के भीतर इन दवाओं की सूची दिल्ली भेजी जाए। उन्होंने राज्यों से बाजार में बिक रही गैर मंजूर एंटीबायोटिक संयोजनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट: एम्स 25 सप्ताह के भ्रूण की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा, जो एक महिला और उसके 25 सप्ताह के भ्रूण की शारी. रिक स्थिति का पता लगाएगा, जिसे वह आर्थिक तंगी का हवाला देकर गिरवाना चाहती है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पीठ ने महिला की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने दावा किया कि उसे 17 मई को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। वकील ने कहा, वह दुबई से आई है और वर्तमान में यहां एक होटल में रह रही है। वह आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है, और पीठ से उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने का आग्रह किया।

पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, 24 सप्ताह से अधिक उम्र के भ्रूण को गिराने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान किए गए भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता हो या गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्वक राय बनाई गई हो।

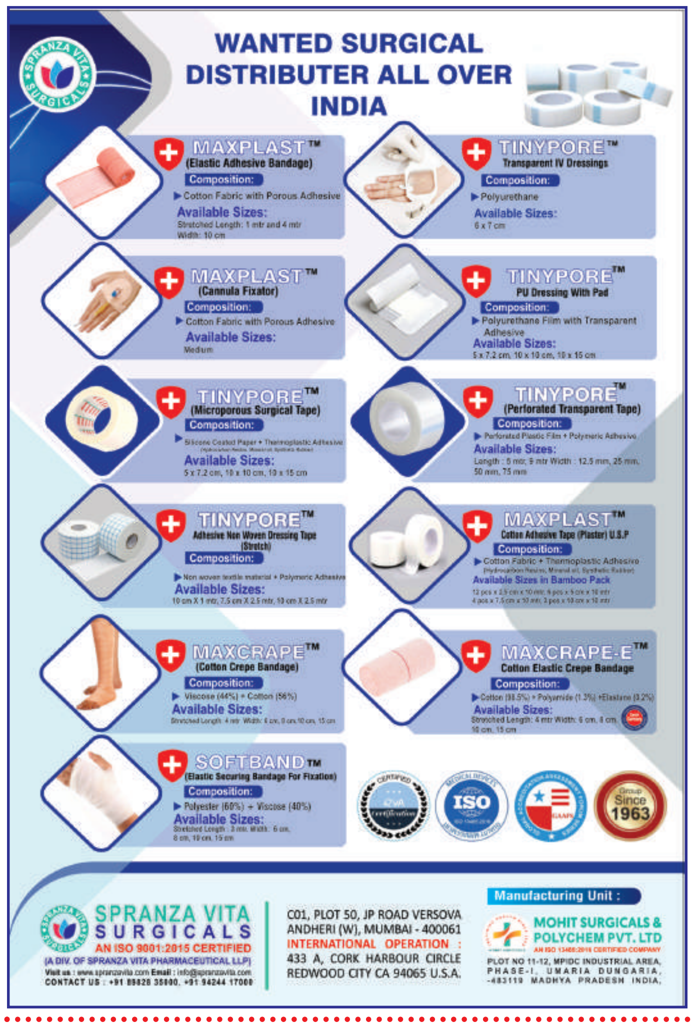

www.medicaldarpan.com

औषधीय विभाग ने तीन मेडिकल स्टोरों से दवाओं के सैंपल लिए

कासगंज (आगरा): औषधीय विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की और तीन दुकानों से दवाओं के 16 सैंपल लिए हैं। सहायक आयुक्त औषधि के नेतृत्व में मंडलीय टीम ने तीन मेडिकल स्टोरो पर छापामारी की। टीम ने यहां से दवाओं के 16 सैंपल लिए हैं। दुक. ानों पर दवाओं के क्रय-विक्रय का हिसाब लिया गया जो दुकानदारों के पास नहीं मिला और अन्य कई अनियमितताएं पाई गई। इसके चलते संबंधित दवा दुकानदारों को नोटिस थमाए गए। छापेमारी की सूचना से आसपास के कई दवा विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए।

जानकारी अनुसार सहायक आयुक्त औषधि पूरन चंद्र अलीगढ, एटा व कासगंज के औषधि निरीक्षक के साथ दवा दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने शिव फार्मा, अटल मेडिकल व एन फार्मा से संदिग्ध एंटी बायोटिक, एंटी एलर्जिक, हाइपरटेंशन, बच्चों के कफ सीरप, बच्चों की पेट के कीड़े की दवाओं के सैंपल लिए। विक्रेताओं से दवाओं की खरीद एवं बिक्री के बिल मांगे गए, लेकिन वे बिल नहीं दिखा सके। सहायक आयुक्त ने बताया कि दवाओं के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं।

प्रतिबंधित कफ सिरप की 20 पेटियां बरामद

चंडीगढ़: प्रतिबंधित कफ सिरप की 20 पेटियां बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई सेक्टर-26 थाना पुलिस ने बापूधाम कॉलोनी में शीतला माता मंदिर परिसर में बनी फोटोग्राफी की दुकान पर छापामारी के दौरान की। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लेकर दो लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जानकारी अनुसार पुलिस इलाके में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि शीतला माता मंदिर परिसर में मौजूद एक दुकान से प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई की जाती है। सूचना के तहत पुलिस ने मंदिर की गली में गणेश स्टूडियो नाम से संचालित फोटोग्राफी की दुकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान यहां से प्रतिबंधित कफ सिरप की 20 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने दुकान संचालक को मौके पर बुलाकर पूछताछ शुरू की और दवाइयों के बिल व लाइसेंस दिखाने को कहा। दुकान संचालक ने बताया कि उसके एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले साथी ने दवाइयों के डिब्बे उसकी दुकान पर रखे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एफएसएल से डाक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और कफ सिरप की जांच की। पुलिस ने दवाइयों को सील कर कुछ सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए।

कफ सिरप फेंसिडिल की तस्करी पकड़ी

त्रिपुरा: कफ सिरप फेंसिडिल की तस्करी का मामला पकड़ में आया है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्रक से करीब 30 लाख रूपये कीमत की कफ सिरप समेत एक व्यक्ति को काबू किया है। घरेलू वस्तुओं से भरे इस ट्रक में तलाशी के दौरान 60 कार्टन जिसमें लगभग 6,000 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसेडिल जब्त की गई। बरामद कफ सिरप की बाजारी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है।

भ्रामक झूठी सूचना देने पर, चिकित्सा अधिकारी तलब

जयपुर: राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डॉ सुरेन्द्र सिंह चौहान को निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर निदेशालय मे उपस्थित होने का आदेश जारी किए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना लेने हेतु, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर आवेदन किया था परंतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा अधूरी/भ्रामक सूचना दी गई, जिसके कारण कैलाश शर्मा द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमे निदेशक द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपील संख्या 177/2024 व 179/2024 कैलाश चंद शर्मा बनाम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर अपील रजिस्टर्ड की गई।

वजन घटाने वाली दवाओं से हो सकता है पेट का लकवा, रहें अलर्ट

नई दिल्ली: प्राप्त समाचार के अनुसार वजन घटाने वाली दवाओं से पेट का लकवा जैसे रोग हो सकते हैं। इससे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दरअसल, अमेरिका में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि वजन घटाने में इस्तेमाल होने वाली वेगोवी और ओजेम्पिक जैसी दवाओं के गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी बढ़ते वजन से परेशान है।

लोग शार्टकट्स के चक्कर में मोटापे से निजात दिलाने वाली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। इसके बहुत गंभीर साइड इफैक्ट्स भी हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि हाल ही में अमेरिका में हुए एक अध्ययन में हुई है। बताया गया है कि तेजी से मोटापा घटाने में इस्तेमाल होने वाली वेगोवी और ओजेम्पिक जैसी दवाओं के लगातार सेवन के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसमें पेट के लकवे जैसे रोग शामिल हैं। पेट के लकवा मारने पर वजन में तेजी से कमी आने लगती है। इसके साथ ही कुपोषण और अन्य जटिल रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार तो इसके इलाज के लिए सर्जरी तक का सहारा लेना पड़ सकता है। अध्ययन में यह भी साफ तौर पर बताया गया है कि इन साइड इफैक्ट्स के होने की संभावना बहुत कम होती है। बता दें कि भारत में ये दोनों ही दवाएँ कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ग्रे मार्केट के जरिए प्रीमियम पर इन दवाओं को उपलब्ध कराए जाने के समाचार भी हैं।

खांसी की दवा का सैंपल फेल मिला, दूसरी जांच रिपोर्ट दबाने का आरोप

इंदौर: खांसी की दवा का सैंपल जांच में फेल पाया गया है। संबंधित दवा कंपनी ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है। जांच के लिए सैंपल दोबारा कोलकाता की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजे गए। बताया जा रहा है कि कोलकाता की लैब से भी दवा की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन प्रदेश के अधिकारी इसे सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। इस मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। बता दें कि अफ्रीकी देश कैमरुन में निर्यात की गई बच्चों की दवा नैचर कोल्ड पर विवाद हुआ था। दवा का निर्माण इंदौर की कंपनी रिमन लैब ने किया था। इसके बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इंदौर में दवा निर्माण इकाइयों के साथ कच्चा माल सप्लाई करने वाली एजेंसियों पर भी जांच शुरू की थी। बता दें कि सवालों के घेरे में आई दवा कंपनी से दवा के सैंपल भी लिए गए थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार भोपाल की स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब में दवा को अमानक माना गया। इसके बाद शासन ने केस दर्ज करवाने के लिए लिखा।

कोर्ट के सामने कंपनी ने शासन की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी। इस पर जांच कोलक. ाता की लैब को भेजी गई। सूत्रों के अनुसार कोलकाता से जांच रिपोर्ट स्थानीय अधिकारी को मिल गई है। शासन ने पहले ही इस दवा कंपनी रिमन लैब को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते सील कर उत्पादन बंद करवा दिया था। ड्रग कंट्रोलर राजीवसिंह रघुवंशी ने भी कहा था कि मानकों के पालन के लिए सख्ती बरती जाएगी और अमानक दवा बनाने वालों पर कार्रवाई चलती रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इंदौर की दवा कंपनी क्वेस्ट लेबोरेटरीज के एमडी अनिल सबरवाल को जामतारा (झारखंड) की कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी। इस कंपनी की दवा (बच्चों को बुखार में दी जाने वाली पैरासिटामाल ओरल सस्पेंशन) को अमानक करार दिया गया था। सरकारी अस्पताल को यह दवा इंदौर की कंपनी ने सप्लाई की थी।

जांच में पाया कि ब्रिटेन के संक्रमित रक्त घोटाला टल सकता था

लंदन: ब्रिटेन में संक्रमित रक्त कांड कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि डॉक्टरों और सरकारों की गलती थी, जिसके कारण 3,000 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग हेपेटाइटिस या एचआईवी से संक्रमित हो गए, एक सार्वजनिक जांच ने रिपोर्ट की। जांच के अध्यक्ष ब्रायन लैंगस्टाफ ने कहा कि 1970 और 1980 के दशक में ब्रिटेन की राज्य-वित्तपोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से 30,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित रक्त और रक्त उत्पाद मिले, जिससे लोगों के जीवन, सपने और परिवार बर्बाद हो गए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी छवि बचाने और खर्च बचाने के लिए सच्चाई को छिपाया, और कहा कि यह कवर-अप किसी भी सुनियोजित साजिश की तुलना में अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और अपने निहितार्थों में अधिक भयावह था। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यह ब्रिटिश राज्य के लिए शर्म का दिन है। उन्होंने कहा, इस जांच के परिणाम से हमारे देश को अंदर तक झकझोर देना चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि मंत्री और संस्थान सबसे दुखद और विनाशकारी तरीके से विफल रहे हैं। उन्होंने संसद को बताया, मैं इस भयानक अन्याय के लिए पूरे दिल से माफी मांगना चाहता हूं और प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा देने का वादा किया। पीड़ितों और बचे लोगों के परिवारों ने वर्षों से न्याय की मांग की थी और छह साल की जांच का नेतृत्व करने वाले लैंगस्टाफ ने कहा कि जो कुछ हुआ उसका पैमाना भयावह और आश्चर्यजनक दोनों था। कुछ मामलों में, अमेरिकी कैदियों या अन्य उच्च जोखिम वाले समूहों से दान किए गए रक्त उत्पादों का इस्तेमाल बच्चों पर किया गया, जिससे उन्हें एचआईवी या हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हुआ, जोखिम के बारे में पता चलने के काफी समय बाद। अन्य पीड़ितों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना चिकित्सा परीक्षणों में इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों को एचआईवी हुआ, उन्हें अक्सर उनके समुदायों द्वारा तिरस्कृत किया गया। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, लैंगस्टाफ ने अभियानकर्ताओं की खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा। संक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों-डॉक्टरों, रक्त सेवाओं और लगातार सरकारों-ने रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। 1985 में लंदन में पुलिस की गाड़ी से टकराने के बाद स्टीफन लॉरेंस को रक्त दिया गया था। दो साल बाद, 15 साल की उम्र में उन्हें एचआईवी और हेपेटाइटिस सी का पता चला।

उन्होंने रॉयटर्स को बताया, मुझ पर ड्रग्स लेने, शराब पीने आदि का आरोप लगाया गया था, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि उनके रिकॉर्ड गायब हो गए थे।

संक्रमित रक्त के उपयोग के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और अन्य देशों में हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 2022 में प्रभावित लोगों में से कुछ को 100,000 पाउंड (+126,990) का अंतरिम भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। हीमोफीलिया सोसाइटी के अध्यक्ष क्लाइव स्मिथ ने कहा कि इस घोटाले ने चिकित्सा प्रतिष्ठान में विश्वास को हिला दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह वास्तव में उस भरोसे को चुनौती देता है जो हम लोगों पर रखते हैं कि वे हमारी देखभाल करें, अपना सर्वश्रेष्ठ करें और हमारी रक्षा करें। उच्च जोखिम वाली आपूर्ति संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों का उपयोग आधान के लिए किया जाता था, जो हमेशा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक नहीं होता था, और हीमोफीलिया जैसे रक्तस्राव विकारों के उपचार के रूप में। हीमोफीलिया रोगियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से फैक्टर 8 सांद्रण प्राप्त हुए, जो विशेष रूप से उच्च जोखिम रखते थे। जांच में कहा गया कि कुछ सांद्रणों में एचआईवी वायरस था, लेकिन अधिकारी सुरक्षित विकल्पों पर स्विच करने में विफल रहे और उन्होंने जोखिम स्पष्ट होने के एक साल बाद जुलाई 1983 में उनके आयात को निलंबित नहीं करने का फैसला किया।

जांच में पाया गया कि प्रणालीगत विफलताओं के परिणामस्वरूप 80 से 100 लोग रक्त आधान के माध्यम से एचआईवी से संक्रमित हो गए और लगभग 26,800 लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो गए, अक्सर बच्चे के जन्म या ऑपरेशन के बाद रक्त प्राप्त करने से। दोनों समूहों को हेपेटाइटिस सी के बारे में डॉक्टरों की लापरवाही और एड्स के जोखिमों पर प्रतिक्रिया करने में उनकी सुस्ती के कारण विफल होना पड़ा, इसमें कहा गया कि सार्थक माफी या निवारण की अनुपस्थिति से यह और भी जटिल हो गया। लैंगस्टाफ ने कहा, यह रिपोर्ट पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक होगा कि ये घटनाएं यूके में हो सकती हैं। पूर्व न्यायाधीश की जांच में अभियोजन की सिफारिश करने की शक्ति नहीं है। फ्रांस में, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एडमंड हर्वे को 1999 में वहां घोटाले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली। फ्रांस के राष्ट्रीय रक्त केंद्र के निदेशक मिशेल गैरेटा को चार साल की सजा मिली।

मेडिकल स्टोर होंगे अब ऑनलाइन, दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी

कोटा (राजस्थान): सूबे में मेडिकल स्टोर अब ऑनलाइन होंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सभी दवा दुकानदारों को एचएफआर आईडी बनाना जरूरी होगा। औषधि नियंत्रण संगठन ने सभी दवा दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि मिशन के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। दवा दुकान ऑनलाइन होने से यह आधार नंबर से लिंक हो जाएगी, जिससे दवा के स्टॉक की जानकारी रहेगी। इसके अलावा, रजिस्टर्ड फर्म की संख्या की जानकारी भी रहेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिए चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए इन्टीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 भी लागू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा। यह आमजन, चिकित्सकों एवं प्रशासन तीनों के लिए बेहद लाभकारी होगा। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनीफाइड डिजिटल सर्वे, केपीआई आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस एवं एनओसी आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली आईसीयू, जीओ टैगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रतिबंधित दवाओं पर रोक लगाने के लिए की छापेमारी

रामपुर: प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए – विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। शहर के मोहल्ला पीला तालाब रोड स्थित मेडिकल स्टोर सर्जिकल फार्मा पर छापेमारी होने से अन्य मेडिकल संचालकों में खलबली मच गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने पीला तालाब रोड स्थित आजाद सर्जिकल फार्मा पर छापा मारा। यहां ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के नियमों के उल्लंघन मिला। मौके से निरीक्षक ने तीन संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री भेजा गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर काफी कमियां मिली हैं। इसके लिए सात दिन तक दुकान बंद रहेगी। दो माह में क्रय-विक्रय बिल की जानकारी मेडिकल संचालक से भी मांगी गई है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निरंतर छापेमारी की जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा।

"अमृत और मृत्यु – दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं. मनुष्य मोह से मृत्यु को व सत्य से अमृत को प्राप्त होता है"

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" –चाणक्य

हॉस्पिटल में पेसमेकर की बैटरी बदलते समय मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा

भिलाई: हॉस्पिटल में पेसमेकर की बैटरी बदलते समय मरीज की मौत हो जाने का समाचार है। मामला श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिलाई का है। मरीज की जान चली जाने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोडफोड़ कर डाली। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप रत्नानी ने बताया कि 15 साल पहले महेश यादव को हार्ट की समस्या हुई थी। उस दौरान उसके हार्ट वाल्व ब्लॉक होने से उसे बदला गया था। जब फिर से परेशानी हुई तो उसे 20-25 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया और फिर एक बार एक पेसमेकर लगाया गया।

परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप : ऑपरेशन के बीच डॉक्टर बाहर आए और बताया कि मरीज का हार्ट वाल्व हो गया। इससे मरीज की मौत हो गई है। यह सुनते ही परिजनों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही के कारण ही मरीज की जान गई। उन्होंने डॉक्टर से 50 लाख रुपए मुआवजे और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

कंसेंट लेटर साइन कराना जरूरी नहीं : डॉक्टर

डॉक्टर का कहना है कि मरीज की कंडीशन खराब होने पर कंसेंट लेटर लेना जरूरी नहीं होता है। इस मामले में भी मरीज की हालत नाजुक थी। इसलिए बिना कंसेंट लेटर लिए ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई।

मेडिकल स्टोर संचालक के पास नहीं मिला लाइसेंस, एक लाख की दवाएं जब्त

मुरादाबाद: मेडिकल स्टोर पर छापामारी के दौरान इसका संचालक दवाओं की खरीद व बिक्री संबंधी लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इसके चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेडिकल स्टोर से करीब एक लाख की दवाइयां जब्त कर ली हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने डिलारी ढकिया क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। टीम के पूछने पर मेडिकल स्टोर संचालक अपना लाइसेंस नहीं दिखा सका। इस पर टीम ने मेडिकल स्टोर से तीन दवाओं के सैंपल लिए लिया और स्टोर में मौजूद करीब एक लाख रुपये कीमत की दवाएं जब्त कर लीं।

औषधि निरीक्षक मुकेश जैन एवं औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के तहत डिलारी ढकिया क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर रेड की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद शिहाली खद्दर निवासी असरफ अली मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं दिखा सका। वह बेची जा रही दवाओं के बिल भी नहीं दिखा पाए। जांच में पता चला कि यह मेडिकल स्टोर लाइसेंस के बिना ही चलाया जा रहा था। टीम ने मेडिकल स्टोर से तीन दवाओं के सैंपल लिए और करीब एक लाख की दवाएं जब्त कर ली। निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने बताया कि इस मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सैंपल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद औषधि अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालक के विरुद्ध केस भी दर्ज किया जाएगा। छापामारी की जानकारी मिलने पर आसपास के दवा दुकानदार अपनी दुक.ानों के शटर गिराकर भाग गए। इस दौरान टीम की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही।

नशे की तीन और दवाओं की बिक्री पर लगी रोक

बिकानेर (राजस्थान): नशे का पर्याय बनी तीन दवाओं की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए। आदेशों के अनुसार जिले में नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली तीन दवाइयों की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। PREGABALIN साल्ट की 75 mg से अधिक मात्रा, टेपेंटाडोल तथा जोपिकलोन की टैबलेट तथा इंजेक्शन की खुली एवं अनियन्त्रित बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। थोक एवं खुदरा विक्रेता तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा इनकी बिक्री बिना क्रय-विक्रय बिल के नहीं कर सकेंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। थोक दवा विक्रेता को इन दवाओं के समस्त क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नंबर सहित संधारण करते हुए दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह पर भिजवानी होगी।

लागत और दुष्प्रभावों के कारण लोग नई वजन घटाने वाली दवाएं छोड़ रहे

नए शोध से पता चलता है कि नई जीएलपी-1 वजन घटाने वाली दवाओं में से एक को शुरू करने के तीन महीने बाद, एक चौथाई से अधिक रोगियों ने पहले ही दवाएं छोड़ दी हैं, और पहली बार इस्तेमाल करने के एक साल बाद एक तिहाई से अधिक ने इसे बंद कर दिया है। संेट लुईस स्थित एवरनॉर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की उर्वशी पटेल के नेतृत्व में एक टीम ने कहा कि वेगोवी, ओजेम्पिक या इसी तरह की दवाओं को छोड़ने के कारणों में लागत या जठरांत्र संबंधी दुष्प्रभाव शामिल हो सकते हैं। दवाओं की कीमत एक बड़ा कारक हो सकती है।

पटेल के समूह ने नोट किया, जीएलपी-1 एगोनिस्ट की 30-दिन की आपूर्ति के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट लागत में प्रत्येक 1-प्रतिशत बिंदु की वृद्धि बंद होने की बढ़ी हुई संभावनाओं से जुड़ी थी। सेंट लुइस टीम ने 2021 की शुरुआत से लेकर 2023 के अंत तक वयस्कों द्वारा GLP-1 दवाओं के उपयोग पर एक प्रमुख अमेरिकी दवा डेटाबेस से जानकारी देखी। टिरजेपेटाइड (जेपबाउंड) को GLP-1 दवाओं की सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि इसे 2023 के अंत में ही अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था। लगभग 196,000 रोगियों के डेटाबेस से पता चला कि GLP-1 दवा लेना शुरू करने के तीन महीने बाद, लगभग 26% उपयोगकर्ताओं ने इसका उपयोग बंद कर दिया था; छह महीने बाद यह दर बढ़कर लगभग 31% हो गई, तथा एक वर्ष बाद 36.5% उपयोगकर्ताओं ने अपनी GLP-1 दवा लेना बंद कर दिया था। जो मरीज मोटे थे, लेकिन उन्हें टाइप 2 मधुमेह नहीं था, उनमें 12 महीने तक GLP-1 दवा का उपयोग बंद करने की संभावना अधिक थी, जबकि जो मोटे थे और उन्हें टाइप 2 मधुमेह था, उनमें यह संभावना अधिक थी (50.3% बनाम 34.2%)।

यह स्पष्ट नहीं है कि मधुमेह के बिना मोटापे से ग्रस्त आधे लोगों ने एक साल के भीतर ही अपना GLP-1 क्यों छोड़ दिया – यह लागत या दुष्प्रभावों से संबंधित हो सकता है, या यह केवल इसलिए हो सकता है कि उनके वजन घटाने के लक्ष्य हासिल हो गए हों। पटेल की टीम ने कहा कि अध्ययन सटीक कारणों का पता लगाने के लिए नहीं बनाया गया था। दवाओं की कीमत एक कारक प्रतीत हुई: गरीब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने जीएलपी-1 का उपयोग बंद करने की संभावना समृद्ध क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक थी, और जैसे-जैसे जेब से खर्च बढ़ने लगा, वैसे-वैसे दवा बंद करने की दर भी बढ़ गई। टीम ने पाया कि जिन लोगों में फॉलो-अप के दौरान जठरांत्र संबंधी नए प्रतिकूल प्रभाव पाए गए उनमें वजन घटाने वाली दवा छोड़ने की संभावना अधिक थी।

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

SHRI PRAFUL SHAH JI	SURAT	01/06/1962	9428390906
SHRI PATEL DURGESH JI	PATAN	01/06/1986	9624153791
Shri. SHABBIR A. DEGINAL JI	BIJAPUR	01/06/1978	9845459521
MOHD. ANSARI ALIMUDDIN JI	NASHIK	01/06/1957	9823183104
MOH. ARIF	NASHIK	01/06/1965	9822331586
SHRI EKNATH SAINDANE JI	JALGAON	01/06/1972	9665540688
SHRI N.S. PATIL JI	KOLHAPUR	02/06/1969	9226885265
MOHD. NAFEES AHMAD JI	ETAH	02/06/1969	7017422084
SHRI BALKISHAN MUNESHWAR JI	GONDIA	02/06/1976	9049990117
SHRI MOHIT P. DESAI JI	VADODARA	03/06/1979	9824155470
SHRI P.K. PRADHAN JI	MAZITAR	03/06/1955	9064462916
SHRI PRABHU ASATI JI	GONDIA	03/06/1964	7774840222
DR. UDAI PAL SHARMA JI	BULANDSHAHR	03/06/1968	9761130317
SHRI RAVINDRA DHADD JI	KOLHAPUR	04/06/1960	9730086251
SHRI DEEPAK JAIN JI	NAGPUR	05/06/1975	9420063375
MR. HARSHAD RUDRAKAR JI	AMRAVATI	05/06/1975	9975521267
SHRI YASH R. MALI JI	JALGAON	05/06/1996	7588010199
MOHD. FAHEEM AKHTAR	NAGPUR	05/06/1978	9373664636
DR. PRADEEP KUMAR JI	BULANDSHAHR	05/06/1992	9759064593
SHRI HANS RAJ SAINI JI	ALWAR	05/06/1992	9982719797
SHRI SATISH P.NAVAL JI	NASHIK	06/06/1956	9225738802
SHRI ANUPAM GARG JI	AGRA	06/06/1998	7878905919
SHRI HEMENDRA KUMAR JI	ALWAR	07/06/1980	9694320719
SHRI MAHENDRA BHAI JI	SURAT	08/06/1986	9913582689
SHRI PRASHANT YEOLE JI	DHULE	08/06/1978	9923105571
SHRI ASHISH VARSHNEY JI	ETAH	08/06/1978	9837122244
SHRI BANKEYLAL JI	ALIGARH	08/06/1985	9758395613
SHRI DINESH KUMAR CHOUDHRY JI	SURAT	09/06/1990	9725577877
SHRI UTTAM PATH JI	BARGARH	09/06/1976	9437218792
SHRI NILESH JAY SINGH RAJPUT JI	JALGAON	09/06/1980	9822261467
SHRI SANTOSH S. KADLAG JI	NASHIK	09/06/1978	9960348500
MR. SATISH SARDA JI	CHANDRAPUR	12/06/1978	9595690565
SHRI MUKESH KUMAR JI	BULANDSHAHR	13/06/1986	9808123477
SHRI LALIT P.PATKAR JI	NASHIK	13/06/1985	9403725809
SHRI KRIAHAN KUMAR RAUT JI	GONDIA	14/06/1980	9325003575
SHRI NARENDRA TANDEKAR JI	GONDIA	14/06/1984	9923066401
SHRI S.P. SINGH JI	BULANDSHAHR	14/06/1985	7500582017
SHRI SHRIKANT MORE JI	SATARA	15/06/1985	8855006522
MR. BASUDEV SAHOO JI	CUTTACK	15/06/1979	9437356627
SHRI CHETAN AGRAWAL JI	NASHIK	15/06/1993	9766092888
SHRI JITENDRA BATRA JI	AGRA	16/06/1976	9258801383
SHRI SUNIL CHHAJED JI	DHULE	17/06/1967	9823271255
SHRI VINAY N. KABRA JI	JALGAON	17/06/1958	9890057949
SHRI CHAITANJ J. MAHAJAN JI	JALGAON	17/06/1982	9822312112
SHRI VIKAS GUPTA JI	AGRA	18/06/1985	9758047100
SHRI UMESH PATEL JI	PATAN	19/06/1978	9824174058
SHRI TARUN KR. GUPTA JI	BULANDSHAHR	19/06/1989	7417920630
SHRI PRASHANT S. JAIN JI	DHULE	20/06/1982	9421245293
SHALU JI	ALIGARH	20/06/1995	9758395613
MOHD. SHAFIQUE SHAIKHE JI	NASHIK	20/06/1981	9881146986
SHRI DEVARAM SHOUDHRY JI	SURAT	21/06/1988	9429989890
SHRI MAHESH PRASAD GUPTA JI	BARGARH	26/06/1979	9861280953
SHRI LALIT S. KINGER JI	DHULE	28/06/1975	9923423223
SHRI SURENDRA MOHAN SINGH JI	BULANDSHAHR	28/06/1987	8630654874
SHRI SRIJAL PATEL JI	BALAGHAT	28/06/1993	9993495065
SHRI NILESH CHAUDHARI JI	JALGAON	28/06/1977	7588009625
DEVENDRA RADHEKRRISHNA BAHEKAR JI	GONDIA	29/06/1968	7709108362
SHRI SANJAY L. PARMAR JI	SURAT	29/06/2015	9574244189
SHRI VINAYAK M. JUNEKAR JI	BELGAUM	30/06/1980	9980706531
SHRI AMIT GUPTA JI	AGRA	30/06/1974	9219238984

अस्पताल में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते आरएचओ का वीडियो वायरल

कुसमी: अस्पताल में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते आरएचओ का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपी आरएचओ के तबादले की मांग की है। बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के सामरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र सेरंगदाग में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक सुनील मिंज के ऊपर ग्रामीणों ने अस्पताल में ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपी के तबादले की मांग की है। ग्रामीणों ने दारू–मुर्गा पार्टी मनाने का वीडियो भी बनाया है। इस मामले में बीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उप स्वास्थ्य केंद्र सेरंगदाग में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक सुनील मिंज पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वह पिछले करीब 7 साल से यहां जमे हुए हैं।

शुरू में उन्होंने ठीक से काम किया, लेकिन अब वे अपने विभाग से जुड़े स्वास्थ्य सेवा के काम में रुचि नहीं लेते और गांव के किसानों की जमीनों को किराए पर लेकर मिर्ची, मक्का, टाऊ सहित अन्य फसलों की खेती करने में पूरी तरह से रम गए हैं। इन व्यवसायिक खेती में उन्हें अच्छा मुनाफा होने से पिकअप वाहन भी खरीद कर रख लिए हैं। अब वे अपना विभागीय कार्य करने में तनिक भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शाम होते ही आरएचओ द्वारा अक्सर उप स्वास्थ्य केंद्र बंद कर कृषि कार्य में उन्हें सहयोग देने वाले गांव के युवकों के साथ दारू–मुर्गा पार्टी की जाती है। इस बीच में यदि रात में गांव के कोई बीमार व्यक्ति आपात स्थिति में दवा लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो उन्हें आरएचओ व उसके साथ मौजूद युवकों द्वारा यह कहकर बगैर दवा दिए ही वापस भेज दिया जाता है कि अब रात हो गई है। आरएचओ व उसके दोस्तों की इस तरह की हरकतों से परेशान होकर ग्रामीणों ने आरएचओ के शराब–मुर्गा पार्टी का चुपके से वीडियो भी बना लिया।

वीडियो में आरएचओ सुनील मिंज को सेरंगदाग के स्वास्थ्य केंद्र में अपने दोस्तों के साथ शराब मुर्गा पार्टी मनाते हुए साफ देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने आरएचओ सुनील मिंज को यहां से हटाकर अन्यत्र तबादला करने की मांग की है। इस बारे में बीएमओ डॉ. सतीश पैंकरा का कहना है कि टीम गठित मामले की जांच की जाएगी। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे।

नमूने अमानक, 10 दवाओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध

जयपुर: राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने विभिन्न 10 दवाओं के सैम्पल अमानक पाए जाने पर 08 कम्पनियों को इनकी आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित किया है। श्रीमती नेहा गिरि ने बताया कि मै. अग्रोन रेमेडीज को कफ सिरप व क्लोरमफेनिकल आई ड्रॉप 0.5%, मै. अलायन्स बायोटेक को हाइड्रोकोर्टीसोन सोडियम इंजेक्शन, मै. एएनजी लाइफ साइंसेज को आर्टसुनेट इंजेक्शन, मै. लिनस लाइफ केयर को डोरजोलामाइड आई ड्रॉप 2%, मै. मैक्सवेल लाइफ साइंसेज को सालब्यूटामॉल सिरप के नमूने अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति हेतु निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया है।

गिरि ने बताया कि मै. मेडीपोल फार्मास्यूटिकल को डोमपेरिडोन सस्पेंशन, मै. सॅमकेम को आयरन एंड फोलिक ऐसिड सिरप व लिक्विड पैराफिन तथा मै. स्कॉट एडिल को इट्राकोनाजोल कैप्सूल के नमूने अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित किया है।

थोक दवा व्यापारी ने रिटेल में बेच डाली प्रतिबंधित नशीली दवाइयां

कोटा: थोक दवा व्यापारी द्वारा रिटेल में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। औषधि नियंत्रण संगठन ने दवाओं को नशे के लिए बेचने के अवैध कारोबार के खिलाफ शहर के खारी बावड़ी स्थित एक थोक व्यापारी के यहां कार्रवाई की। थोक व्यापारी से पता चला कि वह अब तक भारी मात्रा में नशीली दवाएं रिटेल में बेच चुका है। उसने दवा बेचने से पूर्व ग्राहक से किसी प्रकार का पहचान का दस्तावेज भी नहीं लिया।

राजस्थान के औषधि नियंत्रक अधिकारी योगेश कुमार और दिनेश कुमावत ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कोटा में दवा की दुकानों पर अवैध रूप से एनडीपीएस की दवा बेची जा रही है। इसके बाद खारी बावड़ी स्थित फार्मा पर निरीक्षण किया गया। दुकान पर रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि बीते 6 महीने में दुकानदार ने 500 सिरप और 5000 टैबलेट नशे और नींद की दवाओं की बेच डाली हैं। जो दवाएं बेची गई हैं, उन पर राजस्थान सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है। बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची दवाएं: बताया गया कि इस फर्म पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही थी। यहां लगातार बिना बिल के नशीली दवाएं बेची जा रही थी। दुकान पर कोई बिल और कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं मिला।

ये दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जा रही थी। औषधि निरीक्षण ने बताया कि इस दुकान का अभी केवल 6 महीने का स्टॉक जांचा गया है। इसमें ही बड़ी मात्रा में अनियमितता मिली है। ऐसे में 1 जनवरी 2023 से रिकॉर्ड मांगा गया है। कोटा के सहायक औषधि निरीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि थोक के लाइसेंस पर रिटेल में दवा नहीं बेची जा सकती है। साथ ही एनडीपीएस की दवाएं प्रारंभिक रूप पर रिटेल में बिना बिल के बेचने का भी पता चला है। इस पर लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अस्पताल के बाहर चल रहे ब्लड बैंकों के लिए नई गाइडलाइन जारी

देहरादून: प्राप्त समाचार के अनुसार अस्पताल के बाहर चल रहे ब्लड बैंकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अस्पतालों के बाहर संचालित हो रहे ब्लड बैंकों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। सीडीएससीओ की गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस को लेकर अपडेट जारी कर दी है। जिसके तहत प्रदेश में अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जायेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि चिकित्सालय से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।

पत्र में बताया गया है कि जो रक्त केंद्र, अस्पताल परिसर में स्थित नहीं हैं, उस केंद्र को अब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस तरह के रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण को भी नहीं भेजे जाएंगे। अपर आयुक्त ने कहा कि इस नियम के तहत, रक्त केंद्रों के संचालन या फिर मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या फिर रिन्यू के लिए आवेदन उन संगठनों की ओर से ही दिया जाए, जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने समेत अन्य मानदंडों को पूरा कर रहा हो। गौरतलब है कि प्रदेश में कुछ ब्लड सेंटर अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं। इन पर लगाम लगाए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि अब अस्पताल परिसर के भीतर स्थित ब्लड सेंटर को ही लाइसेंस दिया जाएगा। इससे प्रदेशभर में रक्तदान और इससे जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

तम्बाकू और कैंसर: घातक संबंध

प्राप्त समाचार के अनुसार एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोशिकाएं शरीर के क्रम के विरुद्ध विद्रोह करती हैं, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और अन्य ऊतकों पर आक्रमण करती हैं। कैंसर के रूप में जानी जाने वाली ये दुष्ट कोशिकाएं रक्त के माध्यम से शरीर में फैल सकती हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए बनाए गए मार्गों का उपयोग करती हैं। मानव स्वास्थ्य के विशाल परिदृश्य में, 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के कैंसर मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। तम्बाकू के उपयोग को विभिन्न कैंसर के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में से एक माना जाता है। सभी तम्बाकू उत्पाद, जैसे सिगरेट, सिगार, पाइप तम्बाकू, चबाने वाला तम्बाकू और सूंघने वाले पदार्थ, में कार्सिनोजेन्स और नशे की लत वाले निकोटीन सहित हानिकारक पदार्थ होते हैं। तम्बाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल लगभग छह मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत में तम्बाकू का मुद्दा बहुआयामी है, जिसमें धूम्रपान के विभिन्न तरीकों और विभिन्न प्रकार के धुआ रहित तम्बाकू उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है। तम्बाकू उत्पादों के प्रकार और विशिष्ट कैंसर के लिए बढ़ा जोखिम सिगरेट सभी फेफड़ों के कैंसर के 90 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, आपको 12 से अधिक अन्य प्रकार के कैंसर के लिए उच्च जोखिम में डालता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिगरेट में 60 से अधिक विभिन्न कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। यह सिगरेट के उस मासूम दिखने वाले पैकेट में छिपे खतरों की एक गंभीर याद दिलाता है।

सिगार और पाइप : यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बिना कश लिए भी, सिगार और पाइप धूम्रपान करने वालों को मुँह, गले और फेफड़ों में कैंसर होने का अधिक जोखिम होता है। यह एक अनुस्मारक है कि तम्बाकू सेवन का कोई भी रूप पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है।

धूम्रपान कैंसर से कैसे संबंधित है?

शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह सिगरेट के धुएं में मौजूद जहर के कारण होता है, जो डीएनए को खराब कर सकता है और अनियंत्रित कोशिका वृद्धि का कारण बन सकता है।

निष्क्रिय धूम्रपान: GATS & इंडिया अध्ययन से पता चलता है कि 52 प्रतिशत वयस्क सेकेंड हैंड तंबाकू के धुएं के संपर्क में हैं। सेकेंड हैंड धुआं मुख्यधारा के तम्बाकू के धुएं से तीन से चार गुना अधिक जहरीला होता है।

धूम्ररहित तम्बाकू: चबाने वाला तम्बाकू और सूंघने वाला तम्बाकू 40 से अधिक प्रकार के धूम्ररहित तम्बाकू, जैसे पान मसाला, गुटखा, चबाने और सूंघने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तम्बाकू के इन पारंपरिक रूपों को पीढ़ियों से पारित किया गया है और अभी भी कई लोग इसका व्यापक रूप से आनंद लेते हैं। हालाकि चबाने वाला तम्बाकू और सूंघने वाला तम्बाकू धूम्ररहित तम्बाकू उत्पाद माने जाते हैं, लेकिन धूम्ररहित तम्बाकू में 28 से अधिक कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए गए हैं। धूम्ररहित तम्बाकू के स्वास्थ्य जोखिम: भारत में लगभग 20 मिलियन वयस्क नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार के धूम्ररहित तम्बाकू का सेवन करते हैं, और इसकी व्यापकता (21.4 प्रतिशत) धूम्रपान (10.7 प्रतिशत) से दोगुनी है।

Contract Research manufacturer
In Quality and state of Art sections of-
AYURVEDIC AYUSH MARK PRODUCTS
TABLET | CAPSULES | OIL | BHASMA | SYRUP
COSMECEUTICALS
SERUM | PSORIASIS | VITILIGO | SKIN CARE | HAIR CARE
ALLOPATHIC
TABLET | CAPSULE | OINTMENT
NUTRACEUTICALS
Rajani Healthcare Products
Office Address: Purva Complex, Sadashiv Peth Pune 411 030, Maharashtra India
Plant: E-18/1, Jejuri MIDC Tel: Purander Dist: Pune Maharashtra India 412 303, www.rajanipharma.com
pharma789@gmail.com, export.rhcp@gmail.com, info@rajanipharma.com, business@rajanipharma.com
+91 20 24471007 +91 20 24473132 +91 9823096996 +91 8793340533 +91 9168316618 +91 9604639665

मौसमी बीमारियों की नियमित रूप से करें मॉनिटरिंग

जयपुर : अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि से बचाव एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से करने एवं इनकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर जोन में विगत कुछ समय में बढ़ते डेंगू के मामलों के दृष्टिगत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि बीकानेर जोन की राज्य स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। साथ ही राज्य स्तर की टीम ने भी वहां दौरा कर मौसमी बीमारियों से बचाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार के लिए बीकानेर के संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) को निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही जिले में डेंगू प्रभावित इलाकों की विजिट कर सभी आवश्यक कदम उठाने एवं अन्तर्विभागीय प्रकरणों का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक बैठक में निस्तारण करने एवं नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉ. माथुर ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम हेतु की जा रही गतिविधियों में सुधार के लिए फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। साथ ही, डेंगू पॉजिटिव केसों के संबंध में निरन्तर फीडबैक लेने, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य जांच केन्द्रों से प्रतिदिन डेंगू रोगियों की पूरी सूचना प्राप्त करने तथा नियमित रूप से इनकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ALSO AVAILABLE VETERINARY PRODUCT
Adhya Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
A Symbol of Excellence in Health Care To Serve Quality Medicines.
Excise Free Zone
Beta & Non Beta
Alu Alu Pack Available
A Wide Range of Syrups, Tablets Capsules, Dry Syrup
Come Join Hands with us:
• Bulk order manufacturing.
• Loan licence arrangement.
• Third party/marketed by arrangement.
• For sole marketing rights for unrepresentated areas.
Interested parties may contact :
KULDEEP SINGH
Mob. : 09927034515, 9837034518
Adhya Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Believe in Quality & Service
197, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar (U.K.)
E-mail : adhyapharmaceuticals@gmail.com
adhyaprinting@gmail.com

स्वप्न शास्त्र

दावत खाना तथा खिलाना

डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा

प्रियजनों से मिलना होगा तथा पारस्परिक प्रेम में वृद्धि होगी। शारीरिक रोगों से शीघ्र मुक्ति मिलेगी तथा स्वास्थ्य लाभ होगा। माता एवं पिता के द्वारा आर्थिक प्राप्ति होगी तथा व्यापारिक कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा तथा आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। किसी निकट संबंधी के द्वारा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष की ओर से धन की प्राप्ति होगी तथा संबंधों में सुधार होगा। वर्षों पश्चात किसी प्रियजन से भेंट होगी तथा संबंधों में निकटता आएगी। मानसिक सुख की प्राप्ति होगी तथा जीविकोपार्जन की कठिनाईयां दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में चल रहे विवादों की शांति रहेगी तथा मन प्रसन्न रहेगा। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी तथा नये-नये कार्यों के संबंधों में विचार विमर्श होगा। नये कार्यों के संबंधों में विचार विमर्श होगा। नये कार्यों की रूप रेखा तैयार होगी तथा शीघ्र ही उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ कर सकेंगे। व्यापार कार्यों में पत्नी का सहयोग होगा। तथा संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक वातावरण सुख एवं शांतिपूर्ण होगा।

उल्लू देखना

परेशानियां उत्पन्न होंगी, दुर्घटना में गम्भीर चोट आएगी। निकट संबंधी के यहां से अशुभ समाचार प्राप्त होंगें। व्यवसाय में बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप आर्थिक पक्ष कमजोर होगा एवं सभी संबंधी व मित्रगण ऐसी स्थिति में साथ छोड़ देंगे, इस कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। भाई-बंधुओं से वाद-विवाद होगा। हिस्सेदार विश्वासघात करेगा तथा नौकरी भी छुट सकती है।

– डॉ॰ सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मो॰ 9711034710, 8630907504

मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, छह संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक

रायबरेली: मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर छह संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सलोन क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कई दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। एक मेडिकल स्टोर पर फिजीशियन सैंपल की 44 टैबलेट बरामद की गई। छापेमारी की सूचना से कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए।

ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने सलोन क्षेत्र के गणेशगंज बाजार में शांती मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। यहां पर कई खामियां मिलीं। दो दवाएं संदिग्ध मिलने पर सैंपल लिए गए। वहीं, तीन दवाओं के बिल न मिलने पर इनकी बिक्री पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि विजय फार्मा हेल्थ सेंटर पर फिजीशियन सैंपल रैक में रखे मिले। यहां भी दो दवाओं के सैंपल लेकर तीन दवाओं की बिक्री रोक दी है।

"यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है? यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है?" –चाणक्य

दिल्ली मौसम अपडेट: सावधानी बरतें, क्योंकि गर्मी से स्ट्रोक भी हो सकता है

नई दिल्ली: जैसे-जैसे पारा उत्तर की ओर बढ़ रहा है, अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों से लेकर जानलेवा हीटस्ट्रोक तक के इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना 10-15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर भर के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में संख्या में उछाल आया है। गर्मी से होने वाली बीमारियाँ अपेक्षाकृत हल्की गर्मी से होने वाली थकावट से लेकर हीटस्ट्रोक की संभावित जानलेवा स्थिति तक हो सकती हैं। एक डॉक्टर ने कहा, जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उस सीमा से अधिक हो जाती हैं जिससे हम पर्याप्त रूप से निपट सकते हैं, तो हम गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। लगभग 15 मरीज रोजाना हल्के और मध्यम गर्मी से संबंधित लक्षणों जैसे निर्जलीकरण और हल्का बुखार के साथ हमारे पास आ रहे हैं।

हमने अपने अस्पताल की ओपीडी में तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस, निर्जलीकरण के साथ पेचिश और टाइफाइड बुखार के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी है तापजन्य बीमारी में विकारों की एक श्रृंखला शामिल है जो शरीर के प्रभावी रूप से ठंडा न हो पाने के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें हल्की गर्मी से होने वाली ऐंठन से लेकर गंभीर, जानलेवा तापघात तक शामिल है। आम गर्मी से होने वाली बीमारियों में मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन जैसे लक्षण शामिल हैं, जो अक्सर पैरों या पेट में होते हैं, और गर्मी से थकावट, जिसमें भारी पसीना, कमजोरी, चक्कर आना, मतली, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन के लक्षण होते हैं। सबसे घातक हीटस्ट्रोक है, जो शरीर के उच्च तापमान (40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर), भ्रम, तेज नाड़ी और संभावित बेहोशी का कारण बनता है। इन बीमारियों के प्राथमिक कारणों में लंबे समय तक उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, निर्जलीकरण और गर्मी में परिश्रम शामिल हैं।

वैसे तो गर्मी से होने वाली बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ कारक गर्मी के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के निदेशक डॉ. रोमेल टिक्कू ने कहा: चार साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के वयस्कों में गर्मी से थकावट का खतरा अधिक होता है। बच्चों में शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती है, जबकि बड़े वयस्कों में बीमारी, दवाइयां या अन्य कारक शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ दवाइयां उनके शरीर को हाइड्रेटेड रहने और गर्मी के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें उच्च रक्तचाप और हृदय की समस्याओं (बीटा-ब्लॉकर्स, मूत्रवर्धक) के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाइयां, एलर्जी के लक्षणों को कम करने वाली (एंटीहिस्टामाइन) या भ्रम जैसे मानसिक लक्षणों को कम करने वाली (एंटीसाइकोटिक्स) शामिल हैं।

अचानक एसएमएस अस्पताल पहुंची एसीएस

जयपुर : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह लू-तापघात को लेकर चिकित्सा प्रबंधन का जायजा लेने अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचीं। हीटवेव को लेकर पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को तत्काल कंटीजेंसी प्लान बनाने तथा 7 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह गुरूवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने वहां आपातकालीन इकाई, मेडिसिन वार्ड, बांगड़ परिसर एवं चरक भवन का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपातकालीन इकाई में डक्टिंग प्लांट बंद होने एवं अन्य स्थानों पर कूलर, पंखे, एसी आदि क्रियाशील नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी एवं अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी को निर्देश दिए कि अस्पताल में अतिआवश्यक प्रकृति की सेवाओं के लिए तत्काल प्रभाव से कंटीजेंसी प्लान बनाएं एवं दो दिन के भीतर कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर आदि को ठीक करवाएं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को सात दिन में सुचारू करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अस्पताल परिसर में रोगियों एवं परिजनों के लिए पेयजल तथा बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों के उपचार को लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने विद्युत उपकरणों का समय पर मेंटीनेंस नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल में जो भी असुविधाएं सामने आई हैं, उनमें से अति आवश्यक प्रकृति की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाएगा। साथ ही, दीर्घकालीन प्रकृति के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नोडल अधिकारी – अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसएमएस अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नोडल अधिकारी के माध्यम से 28 मई, 2024 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हीटवेव प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें मौसमी बीमारियों, गर्मी जनित बीमारियों, अस्पतालों में पानी, बिजली की व्यवस्था, कूलर-एसी, पंखों आदि की क्रियाशीलता सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। वीसी के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ, जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक शामिल होंगे।

फर्जी एनओसी रैकेट: निजी अस्पतालों में आंतरिक समिति की कमी पर रिपोर्ट खामोश

जयपुर: चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अंग प्रत्यारोपण घोटाले के लिए फर्जी एनओसी पर स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट यह उजागर करने में विफल रही है कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों को अपनी सक्षम प्राधिकरण समिति या आंतरिक समिति गठित करने के लिए क्यों बाध्य नहीं कर सकी, जबकि वे हर साल 25 से अधिक प्रत्यारोपण करते हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार, जो अस्पताल सालाना 25 से अधिक प्रत्यारोपण करते हैं, उन्हें अपनी समितियां गठित करनी होती हैं।

हालांकि, इन अस्पतालों ने संभवत: अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अंग प्रत्यारोपण के लिए एनओसी प्राप्त करना पसंद किया। अब, जब एनओसी घोटाला सामने आया है, तो राज्य सरकार ने तीन निजी अस्पतालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जिससे उन्हें अगले आदेश तक अंग प्रत्यारोपण करने से रोक दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2008 को जारी अधिसूचना में कहा गया है, यदि संबंधित प्रत्यारोपण केंद्रों पर एक वर्ष में प्रत्यारोपणों की संख्या 25 से अधिक है, तो प्राधिकरण समिति मेट्रो और बड़े शहरों में अस्पताल आधारित होनी चाहिए। टीएचओए 1994 में कहा गया है कि अस्पताल आधारित प्राधिकरण समितियों का गठन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

अधिसूचना के अनुसार, अस्पताल आधारित प्राधिकरण समितियों की संरचना, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में केंद्र द्वारा किया जाएगा, में अस्पताल के चिकित्सा निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य करने वाले सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, उसी अस्पताल के दो वरिष्ठ चिकित्सक जो प्रत्यारोपण टीम का हिस्सा नहीं हैं, दो सदस्य उच्च निष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता वाले व्यक्ति होंगे, जिन्होंने उच्च न्यायपालिका, पुलिस सेवा के वरिष्ठ कैडर जैसे उच्च रैंकिंग वाले सरकारी पदों पर काम किया हो, या जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय में रीडर या प्रोफेसर के रूप में काम किया हो, या जो वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित स्व-नियोजित पेशेवर हों, सचिव (स्वास्थ्य) या नामित व्यक्ति, और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या नामित व्यक्ति शामिल होंगे। जबकि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि निजी अस्पताल एनओसी के लिए, अपनी आंतरिक समितियां स्थापित करें, निजी अस्पताल अब यह दलील दे रहे हैं कि किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया (एसएमएस अस्पताल की राज्य प्राधिकरण समिति द्वारा जारी एनओसी) के मामले के खुलासे से पहले पूरी प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर संदेह करना मुश्किल था। उनका तर्क है कि अस्पताल प्रशासन इस गैरकानूनी कृत्य से पूरी तरह अनजान था, न केवल अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए बल्कि एनओसी प्राप्त करने वाले भारतीय रोगियों के लिए भी। अस्पतालों के अधिकारी ने कहा, अस्पताल प्रशासन इस बात से अनजान था कि एसएमएस अस्पताल में राज्य प्राधिकरण समिति द्वारा समिति की बैठकों के बिना एनओसी का इस्तेमाल किया जा रहा था।

THOTA 1994 के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत प्रत्यारोपण या पुनर्प्राप्ति अस्पतालों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी गतिविधियों, प्रत्यारोपण की गुणवत्ता, दाता और प्राप्तकर्ता के ऑपरेशन के बाद की निगरानी और प्रत्यारोपण के परिणामों की मौके पर ही निगरानी की जा सके। हालांकि, राज्य में ऐसा भी नहीं किया गया है। निजी अस्पताल अब इस घोटाले के लिए राज्य प्राधिकरण समिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि समिति को अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सत्यापित करना आवश्यक है, चाहे वे भारत के भीतर मरीजों के लिए हों या दूसरे देशों के।

ALWAISWIN Pharma India Pvt Ltd
Deals In:- Herbal, Food, Neutraceuticals Syrup, Injectables, Softgel
Our Company registered Products:
Almonx 500 | Orthogard- BP | Alrabe-DSR | Nerviwin-M
Almonx Cv625 | Orthogard- NP | Alvit-Grow 16G | Nerviwin150
Almonx LB | Orthogard- MR | Alvit- Active12G | Nerviwin GB
Almonx 250 | Orthogard Gel | Alvicof-dx | Nerviwin 300
Call Us:-9815003544,7784849000
Franchise Available For Vacant States
Attractive Packings | Third Party Enquiry Also Welcome | Best Quality Products
Head Office:-18-f-Big B Complex Rotary Chowk Baddi (H.P)
G.Mail:- alwaiswinpharma@gmail.com
Our web:-alwaiswinpharma.com

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की टीबी उपचार सेवाओं की समीक्षा

जयपुर : प्रदेश में टीबी रोग के उपचार में उपयोग आने वाली सभी आवश्यक दवाइयों की सुचारू आपूर्ति की जा रही है। विगत दिनों कुछ समय के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय औषधियों की केन्द्र से आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित प्रबंधन कर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टीबी संक्रमितों का प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए सकंल्पबद्ध होकर टीबी संक्रमण की पहचान व उपचार सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार से कुछ समय के लिए दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होने पर भी प्रदेश में बफर स्टॉक के माध्यम से टीबी उपचार के लिए दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को टीबी की दवा खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया और इसके लिए आवश्यक बजट भी जारी किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अप्रैल एवं मई माह में केन्द्र सरकार से 4-एफडीसी की करीब 1 लाख टेबलेट तथा 3-एफडीसी की करीब 1 लाख 3 हजार टेबलेट्स की आपूर्ति की गई। इसी प्रकार जिलों में स्थानीय स्तर पर अप्रैल और मई माह में करीब 5 लाख 75 हजार टेबलेट्स की खरीद की गई।

दवा खरीद के लिए करीब 8 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। अब प्रदेश में टीबी दवा की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। श्रीमती सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जा रही है। जहां भी दवाओं की उपलब्धता से संबंधित समस्या सामने आई, वहां तत्काल प्रभाव से दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। स्थानीय स्तर पर खरीद के साथ ही जिन जिलों में अधिक मात्रा में दवा उपलब्ध थी, वहां से अन्य जिलों को दवा की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। चिकित्सकों द्वारा टीबी के उपचार में उपयोग में आने वाली अन्य वैकल्पिक दवाओं के माध्यम से भी रोगियों का उपचार सुनिश्चित किया गया। श्रीमती सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति एवं दिशा-निर्देश के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

www.medicaldarpan.com

सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए दवा पर्याप्त नहीं

पणजी: विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर, दक्षिण गोवा में टेलीमानस सेल ने लोगों से जल्द उपचार लेने की अपील की। मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए दक्षिण गोवा जिला अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में टेलीमानस सेल की सलाहकार डॉ स्नेहा पोकले ने कहा, लोग आमतौर पर समाज में कलंक और गलत धारणाओं के कारण सिजोफ्रेनिया जैसे विकारों के लिए मदद नहीं लेते हैं। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की मनोचिकित्सक और कार्यक्रम अधिकारी डॉ शिल्पा पंड्या ने कहा कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए दवा पर्याप्त नहीं है। उन्हें परिवार की सहानुभूति, समर्थन और प्यार की आवश्यकता होती है। यह पर्याप्त नहीं है कि वे इलाज करवाएं और घर पर रहें, उन्हें कार्यात्मक जीवन जीने, नौकरी करने और परिवार और समाज के लिए बोझ नहीं बनने में भी सक्षम होना चाहिए, उन्होंने कहा। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोग शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा, उनकी धारणा ही दोषपूर्ण है, लेकिन लोगों को लगता है कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है जो उनके नियंत्रण से बाहर है। ऐसे मामले भी हैं, जहां परिवार सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को सड़कों पर छोड़ देते हैं और उन्हें प्रोवेडोरिया में छोड़ देते हैं। अगर ऐसे रोगियों को जल्दी उपचार दिया जाए, तो उनका निदान बेहतर होगा। उन्होंने कहा, अगर उपचार में देरी की जाती है, तो समस्या अधिक जटिल और पुरानी हो जाती है, जहां वे दवाओं का जवाब नहीं देते हैं और घर पर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। दक्षिण गोवा जिला अस्पताल में हर महीने 800 से ज्यादा मामलों में से सिजोफ्रेनिया के दो नए मामले सामने आते हैं। ज्यादातर मरीज 20-40 की उम्र के होते हैं क्योंकि इस उम्र में यह ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि वे काम करने में सक्षम नहीं हैं। बुजुर्गों में इसे उम्र से जुड़ी समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

सन फार्मा विशेष व्यवसाय के विस्तार के लिए विलय एवं अधिग्रहण, लाइसेंसिंग पर काम करेगी

मुंबई: भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा अपने विशेष व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लाइसेंसिंग और अधिग्रहण का प्रयास करेगी, कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा। सन फार्मा में उत्तरी अमेरिका व्यवसाय के सीईओ अभय गांधी ने कहा, एम एंड ए - हमने हमेशा बहुत विवेकपूर्ण होने की कोशिश की है; हमने ऐसे तरीकों पर विचार किया है जिससे हम अपने पोर्टफोलियो में अंतराल को भरने और अपने रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग या अधिग्रहण का उपयोग कर सकें। गांधी ने कहा, बेशक, टैरो सहित करीब 2.4 बिलियन डॉलर की नकदी हमारे पास होने से हम मध्यम से लेकर बड़े आकार के लेनदेन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सन फार्मा इन-हाउस उत्पादों की पाइपलाइन विकसित करने के लिए सचेत प्रयास कर रही है और आगे बढ़ते हुए, यह दोनों (एम एंड ए और इन-हाउस विकास) का संयोजन होगा।

> **2,891.7**
> **करोड़ रुपये में सन फार्मा ने 21.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया**

31 मार्च तक, समेकित स्तर पर सन फार्मा के पास 2.4 बिलियन डॉलर की शुद्ध नकदी है, जिसमें से तारो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज की नकदी शून्य ऋण के साथ 1.3 बिलियन डॉलर है। तारो के सन फार्मा के साथ आसन्न डीलिस्टिंग और विलय से मुंबई स्थित दवा निर्माता को तारो की नकदी का उपयोग व्यवसाय विकास को आगे बढ़ाने में करने में सक्षम बनाया जाएगा। NYSE-सूचीबद्ध तारो में सन फार्मा की 78.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सन फार्मा ने शेष 21.52 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,891.7 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया। विशेष दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो गंभीर, पुरानी और दुर्लभ बीमारियों के लिए लक्षित चिकित्सा प्रदान करती हैं और अक्सर नए डिलीवरी फॉर्मूलेशन जैसे पैच, इनहेलर और सामयिक या एक नया संयोजन या नई बीमारी के संकेत या बेहतर सुरक्षा प्रोफाइल जैसे नवाचार पर बनाई जाती हैं, इसलिए उन्हें पेटेंट द्वारा कुछ सुरक्षा मिलती है और उन्हें कॉपी करना भी जटिल होता है, जिससे दवा निर्माताओं को सीमित प्रतिस्पर्धा और बेहतर मार्जिन सुनिश्चित होता है।

उदाहरण के लिए, सन फार्मा ने पिछले साल अमेरिका स्थित कॉन्सर्ट फार्मा को खरीदने के लिए 4,600 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जिसने इसे ड्यूरक्सोलिटिनिब नामक अपने प्रमुख उम्मीदवार के अधिकार दिए, जिसका उपयोग मध्यम से गंभीर एलोपेसिया एरीटा से पीड़ित वयस्कों के उपचार के लिए किया जाता है जो गंजापन का कारण बनता है। वर्तमान में इस बीमारी के लिए सीमित उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन जेनेरिक दवाओं के विप. रीत, विशेष दवाओं के विकास और व्यावसायीकरण में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, और भुगतान कई कारकों पर निर्भर करता है। कंपनियों को नैदानिक विकास, विनियामक फाइलिंग, ब्रांड निर्माण, फ्रंट-एंड वितरण, भुगतानकर्ताओं की कवरेज सुनिश्चित करने और डॉक्टरों को अधिक नुस्खे लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए बिक्री बल बढ़ाने में महत्वपूर्ण समय और पैसा निवेश करना चाहिए। चूंकि विशेष दवाएं कोई क्रांतिकारी आविष्कार नहीं हैं, इसलिए हमेशा नकल की तलवार लटकी रहती है। पिछले कुछ वर्षों में सन फार्मा ने लाइसेंसिंग सौदों और अधिग्रहणों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने विशेष व्यवसाय का निर्माण किया है। सन फार्मा का वैश्विक विशेष व्यवसाय, जिसकी अधिकांश बिक्री अमेरिका से होती है, ने वित्त वर्ष 24 में 1 बिलियन डॉलर की बिक्री के मील के पत्थर को पार कर लिया है। वैश्विक विशेष बिक्री ने सन फार्मा के राजस्व में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान दिया और वित्त वर्ष 24 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 1.04 बिलियन डॉलर हो गई।

कफ सिरप फेंसिडिल व 30 लाख की खेप समेत एक गिरफ्तार

त्रिपुरा: कफ सिरप फेंसिडिल की तस्करी का मामला पकड़ में आया है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्रक से करीब 30 लाख रुपये कीमत की कफ सिरप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग को कफ सिरप की तस्करी की गुप्त जानकारी मिली थी। धलाई के पुलिस अधीक्षक अविनाश राय के नेतृत्व में धलाई जिला पुलिस, त्रिपुरा राज्य राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से अगरतला जा रहे ट्रक को रोका। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंबासा नाका चेकिंग पॉइंट पर एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। घरेलू वस्तुओं से भरे इस ट्रक में तलाशी के दौरान 60 कार्टन जिसमें लगभग 6,000 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसेडिल जब्त की गई।

गर्भवती महिला को अस्पताल ने भर्ती करने से किया इनकार, ऑटो रिक्शा में जन्मा बच्चा

नीमच (मप्र): गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। इसके चलते दर्द से कराहती महिला ने ऑटो रिक्शा में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मामला मध्य प्रदेश के एक जिला अस्पताल का है। बताया गया कि अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट के न होने के कारण गर्भवती को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इससे 30 वर्षीय महिला ने ऑटो रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि, बाद में मां और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वे दोनों स्वस्थ्य हैं। जिला अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

दिनेश सिलावट के अनुसार उनकी पत्नी रजनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो वह उन्हें आटो रिक्शे से जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल के कर्मचारियों ने उनसे अपनी पत्नी को उदयपुर (राजस्थान) ले जाने के लिए कहा। सिलावट ने कहा कि मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद वे नहीं माने और महिला कर्मचारियों ने हमें अस्पताल छोडने के लिए कहा। जैसे ही हम शाम 4 बजे के आसपास अस्पताल से बाहर आए मेरी पत्नी ने ऑटो रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। जब अस्पताल के कर्मचारियों को प्रसव के बारे में पता चला तो उन्होंने जच्चा-बच्चा को अस्पताल में भर्ती कर लिया। उधर, प्रसूति विभाग के प्रमुख डॉ. लाड धाकड़ का कहना है कि एनेस्थेटिस्ट छुट्टी पर हैं, जिसके चलते वहां सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो सकीं। अस्पताल में नियमित ड्यूटी के लिए भी पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं। मेरी ड्यूटी 2 बजे तक थी। उसके बाद महिला को अस्पताल लाया गया। जब स्टाफ ने मुझे बताया तो मैंने जाकर उसे देखा। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। परिवार वालों को बताया गया कि उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन वे वहीं रुके रहे। हम जोखिम से बचने के लिए ऐसे गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं।

मिसाल : राजस्थान में हुआ 59वां अंगदान, तीन लोगों को मिला जीवनदान

जयपुर : राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग एवं प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं सलाह के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव इस समिति के चेयरपर्सन तथा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। समिति में लॉ एंड लीगल अफेयर विभाग के संयुक्त सचिव, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक के अधीक्षक डॉ. विनय मल्होत्रा, न्यूरोसर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मनीष अग्रवाल, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी श्री ओपी गुप्ता, कोटा की डॉ. नील प्रभा नाहर, मोहन फाउण्डेशन चेन्नई के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. सुनील श्रॉफ एवं कांवटिया अस्पताल जयपुर के प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट डॉ. दिनेश शर्मा सदस्य होंगे। कमेटी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा एवं इसका प्रशासनिक विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1) होगा। ऑथराइजेशन कमेटी के गठन के बाद अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण को लेकर प्रदेश में फिर से मजबूती के साथ कार्य प्रारंभ हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। विभाग के प्रयासों से कमेटियों के गठन के बाद प्रदेश में अंगदान एवं प्रत्यारोपण का सिलसिला फिर शुरू हो गया है।

श्रीमती सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर के नारायणा अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हुआ। गुजरात मूल हाल जयपुर निवासी 44 वर्षीय श्री शुक्ला तेजस उपेन्द्र कुमार का 21 मई 2024 को एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें 24 मई को ब्रेन डेड घोषित किया गया। चिकित्सकों तथा ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर की समझाइश के बाद परिजन उनके अंगदान के लिए तैयार हुए। इसके बाद एक किडनी व लिवर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भेजा गया तथा एक किडनी का प्रत्यारोपण नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में किया गया। इस प्रकार उपेन्द्र कुमार तीन लोगों को जीवनदान दे गए।

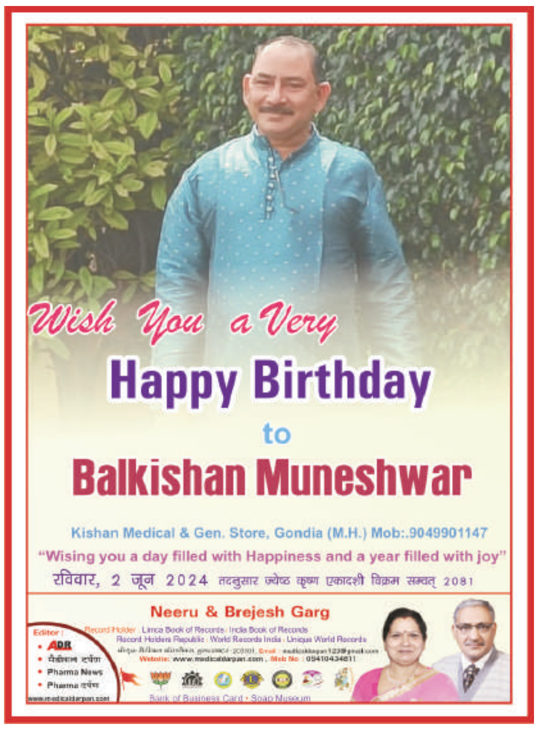

फंगल इन्फेक्शन की गोलियां, मलेरिया इंजेक्शन, आई ड्रॉप के सैंपल फेल

जयपुर: सीएम नि:शुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने के वाली दवाइयों के सैंपल फेल होने के बाद सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सवालिया निशान लगे हैं। आरएमएससीएल ने ऐसी 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगाई है, जिनकी जांच कराने पर वे अमानक निकली हैं हालांकि आरएमएससीएल की ओर से सैंपलिंग के बाद ही दवाएं सप्लाई की जाती हैं, लेकिन फंगल इंन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवा एस्थलीन पर रोक लगाने से कुछ हद तक कमी हो सकती है।

सन फार्मा के बिलिंग सिस्टम को नकारा

उत्तरांचल औषधि व्यवसाय महासंघ के महासचिव अमित गर्ग जी मो. 9412071835 ने मुंबई स्थित सन फार्मास्युटिकल लि. के डिस्ट्रीब्यूशन हेड सिराज सिंह को पत्र संख्या UAVM/HDR/May 24/004 के माध्यम से कम्पनी द्वारा Billing System (SSD) को नकार दिया है. अमित गर्ग ने कड़े शब्दों में कंपनी को लिखा है कि कंपनी SSD Billing System, को तुरंत बंद करके पुराने बिलिंग सिस्टम से ही स्टॉकिस्टों से व्यापार करे. अमित गर्ग ने पत्र की प्रति संगठन के अध्यक्ष बी.एस. मानकोटी मो. 9412093636 को भी भेज दी है.

राजकीय अमृतकौर हॉस्पिटल ब्यावर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उड़ा रहे राज्य सरकार के आदेश की धज्जिया

ब्यावर : राजकीय अमृतकौर हॉस्पिटल ब्यावर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेन्द्र सिंह चौहान खुलेआम राज्य सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे है। आदेश के अनुसार हॉस्पिटल में मरीजो को फार्मूला नेम से दवा लिखनी होती है मगर डॉ सुरेन्द्र सिंह चौहान इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मरीजो को ब्रांड नेम से दवाइयां लिख रहे है, सूत्रों ने ऐसे पर्चे दिए जिस में मरीजो को ब्रांड नेम की दवाइयां लिखी हुई है। राज्य सरकार के आदेश है फार्मूला नेम से दवा लिखने के यदि कोई ऐसा केस सामने आता है तो कार्यवाही की जाएगी : डॉ संपत सिंह जोधा, संयुक्त निदेशक, अजमेर जोन अब देखना ये है कि राज्य सरकार के फार्मूला नेम से दवा लिखने के आदेश के बावजूद ब्रांड नेम से दवा लिखने के कारण डॉ सुरेन्द सिंह चौहान के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

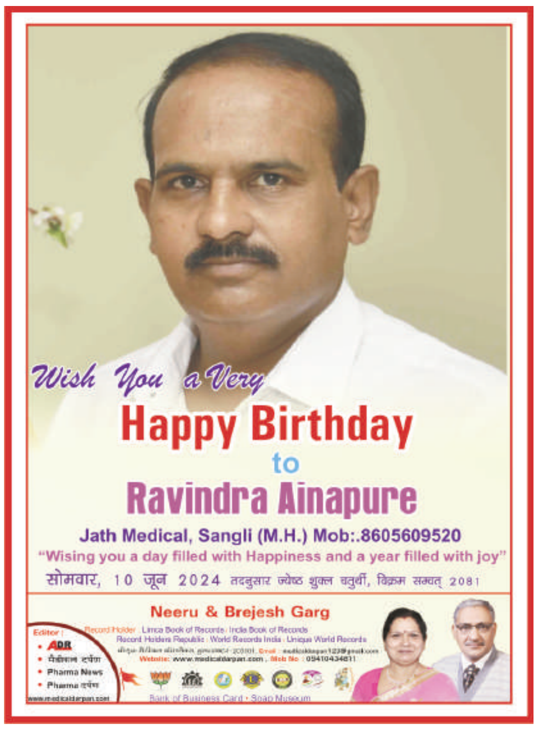

हीटवेव प्रबंधन में लापरवाही पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन

जयपुर : राज्य सरकार ने हीटवेव प्रबंधन को लेकर लगातार दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद चिकित्सा संस्थानों में समुचित प्रबंध नहीं करने पर सख्त एक्शन लिया है। अस्पतालों में हीटवेव प्रबंधन में खामियों को लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों के 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने इस बार अत्यधिक गर्मी रहने एवं हीटवेव का अलर्ट जारी किया था।

इसके क्रम में प्रदेशभर के चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव प्रबंधन को लेकर कमियां पाई गईं। इन अस्पतालों में कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू नहीं पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में हीटवेव से बचाव के समुचित प्रबंध नहीं पाए जाने पर अतिरिक्त अधीक्षक एवं चिकित्सा प्रभारी अधिकारी विद्युत एवं यांत्रिकी डॉ. गिरीश चौहान, सहायक अभियंता सिविल श्रीमती मोनिका सैनी व श्रीमती अंजू माथुर, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल श्री सुनील कुमार मीणा तथा अस्पताल अभियंता श्री रवि प्रकाश चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार सीकर मेडिकल कॉलेज के एसके हॉस्पिटल, अजमेर मेडिकल कॉलेज के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, पाली के बांगड अस्पताल, बीकानेर के जनाना अस्पताल, कोटा के एमबीएस अस्पताल, भरतपुर के जनाना अस्पताल एवं जयपुर के जनाना अस्पताल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर दवाइयां जब्त की

मुरादाबाद: अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर दवाइयां जब्त करने का मामला प्रकाश में आया है। डिप्टी सीएमओ और औषधि प्रशासन की टीम ने भगतपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी रोशनपुर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर रेडकर 95 हजार रुपये कीमत की दवाइयां जब्त की हैं। टीम के मांगने पर दवा दुकानदार मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सका। स्टोर से बरामद दवाओं में कुछ एक्सपाइरी डेट की भी बताई जा रही हैं। डिप्टी सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार. औषधि प्रशासन विभाग की निरीक्षक उमिला वर्मा और निरीक्षक मुकेश जैन की टीम ने बजरंग दल के लोगों की शिकायत पर पुलिस बल के साथ गांव बहेडी रोशनपुर स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा।

मेडिकल स्टोर अवैध ढंग से संचालित किया जा रहा था। इसका संचालक शाकिर अली दवाओं की बिक्री संबंधी वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। शिकायत मिली थी कि शाकिर झोलाछाप डॉक्टर का भी काम करता है। मौके पर निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में 95 प्रकार की दवाएं मौजूद थीं। इनमें कुछ एक्सपाइरी डेट की थी। मौके से निरीक्षकों ने चार दवाओं के सैंपल लिए हैं। इसके बाद मेडिकल स्टोर से 95 हजार रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कर ली गई। निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत में केस दर्ज करवाया जाएगा। इस मामले में पुलिस की जांच भी है।

फर्जी डॉक्टर की दवा से बच्चे की मौत, डॉक्टर को अरेस्ट किया

बाराबंकी: फर्जी डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि मासूम झूले से गिरकर मामूली रुप से घायल हुआ था। उसके परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने उनके बच्चे को ऐसी दवा दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने संबंधित डाक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी अनुसार आदर्श नगर पंचायत सुबेहा के हसनपुर वार्ड स्थित अपने ननिहाल आया 12 वर्षीय कुलदीप पुत्र राजेन्द्र गौतम निवासी इन्हौना जनपद अमेठी कस्बा स्थित मियां छावन बाबा की दरगाह पर लगे मेले में झूला झूल रहा था। झूलते समय नीचे गिर जाने से कुलदीप को हल्की चोट लग गई। इस पर कुलदीप के नाना जियालाल उसे लेकर हसनपुर वार्ड में ही एक डॉक्टर फारुख के क्लीनिक पर लेकर पहुंचे। वहां पर मासूम का इलाज कर डाक्टर ने उसे दवा खिलाई और घर ले जाने के लिये कहा। नाना के मुताबिक वह बच्चे को लेकर घर चले आये। घर में कुलदीप ने खाना खाया और इसके कुछ ही देर बार उसकी तबियत बिगड़ गई। कुलदीप को दोबारा लेकर वह उसी क्लीनिक पर पहुंचे, जहां डाक्टर फारुख ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार झोलाछाप डॉक्टर ने उनके बच्चे का गलत इलाज किया। गलत दवा देने के चलते उसकी जान गई। परिजनों ने थाना सुबेहा में शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित डाक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने डाक्टर को हिरासत में लेते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर जांच की जा रही है। आरोपी डॉक्टर ने अपने पास भारतीय चिकित्सा परिषद धनवंतरि का प्रमाण पत्र होना बताया है। सीएचसी अधीक्षक सुबेहा डा. ओम प्रकाश कुरील ने बताया कि जितने भी झोलाछाप डाक्टरों द्वारा अवैध क्लीनिक चलाये जा रहे हैं, उनकी जांच करवाकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दवा उद्योग की विकास गाथा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार रहा

ढाका: बांग्लादेश के दवा उद्योग की विकास गाथा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, बांग्लादेश में एक प्रमुख भारतीय दवा कंपनी के नए संयंत्र का उद्घाटन होने पर बांग्लादेश के राजदूत ने कहा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के निजी उद्योग और निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से ढाका-चटगांव राजमार्ग से सटे मेघना नदी के तट पर नारायणगंज जिले के सोनारगांव उपजिला में मेघना औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र में सन फार्मा के नए संयंत्र का उद्घाटन किया।

सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेशियलिटी जेनेरिक दवा कंपनी है, जिसका संचालन 100 से अधिक देशों में है। यह बांग्लादेश में कंपनी का दूसरा निवेश है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1 बिलियन से अधिक टैबलेट और कैप्सूल है। वर्मा ने कहा कि भारत बांग्लादेश के दवा उद्योग की विकास कहानी में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, जो बांग्लादेश की सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) की लगभग 30 प्रतिशत मांग को पूरा करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संयंत्र, जो बांग्लादेश के किसी भी आर्थिक क्षेत्र में पहली दवा इकाई है, न केवल बांग्लादेश के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि बांग्लादेश में निवेश करने के लिए भारतीय व्यवसायों के बीच बढ़ती रुचि को भी दर्शाता है। भारत ने बांग्लादेश को वैक्सीन मैत्री और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के तहत टीके की आपूर्ति की, जबकि बांग्लादेश ने भारत को महत्वपूर्ण दवाएं उपहार में दीं। पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश के दवा उद्योग द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता देते हुए, उच्चायुक्त ने जेनेरिक दवा निर्माण में बांग्लादेश के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को रेखांकित किया। कई सरकारी प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित घरेलू उत्पादन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, वर्मन ने कहा कि भारतीय निर्माताओं के लिए संयुक्त उद्यमों, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और प्रौद्योगिकी गठजोड़ के रूप में बांग्लादेश की कंपनियों के साथ व्यावसायिक साझेदारी स्थापित करने के पर्याप्त अवसर हैं।

फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर अरेस्ट

जयपुर: फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर दवा दुकानदारों को डराकर रुपये ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों ब्रह्मपुरी निवासी चेतन शर्मा और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा ने बताया कि नाजिम ने गलता गेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके मेडिकल स्टोर पर शाम को दो व्यक्ति आए। इन्होंने एमटीपी किट मांगी। दुकानदार ने उन्हें 600 रुपये की किट दे दी। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर सुनील शर्मा हूं। तुम्हारे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई नहीं करने के बदले 25 हजार रुपये चाहिए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की।

जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन : डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा के निर्देशन में गलता गेट थाना अधिकारी लिखमाराम के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई। मामला दर्ज होने के मात्र 3 घंटे में ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में ब्रह्मपुरी जयपुर निवासी चेतन शर्मा उर्फ सोनू और अरुण शर्मा उर्फ सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। गलता गेट थाने के सब इंस्पेक्टर गिरिराज चौधरी के अनुसार आरोपी मेडिकल स्टोर को चिन्हित करके स्टोर पर बोगस ग्राहक बनकर जाते थे। वे एमटीपी किट की मांग करते थे। एमटीपी किट मिलने पर मेडिकल स्टोर पर अपने दूसरे साथी को इशारे से बुलाकर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल स्टोर संचालक को डराते थे। मेडिकल स्टोर वाले को कार्रवाई का डर दिखाकर रुपयों की मांग करते थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में और भी कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

डीसीए ने की रेड, अधिक कीमत और भ्रामक दावे वाली आयुर्वेदिक दवाइयां जब्त

हैदराबाद: डीसीए ने मेडिकल स्टोरों पर रेड कर अधिक कीमत और भ्रामक दावे वाली आयुर्वेदिक दवाइयां जब्त की हैं। निमोनिया और मधुमेह के इलाज का दावा करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों को बरामद कर उनकी बिक्री को रोका गया है। डीसीए के अनुसार इन आयुर्वेदिक दवाओं के लेबल पर भ्रामक दावे किए गए थे। इसमें झूठा दावा किया गया था कि वे निमोनिया और मधुमेह का इलाज करते हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) ने भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों के साथ बाजार में बेची जाने वाली दवाओं का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने भ्रामक विज्ञापन देने पर आयुर्वेदिक दवाएं जब्त की

अधिकारियों ने आसिफाबाद जिले में अधिक कीमत वाली दवाएं जब्त की हैं। उन्होंने एक मेडिकल दुकान पर छापेमारी के दौरान ऐंटिफंगल दवा जाइटाज-पीटी इंजेक्शन (पिपेरासिलिन और टैजोबैक्टम इंजेक्शन आईपी) जब्त किया। यह 146 रुपये से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश के प्रॉसपेरिटी 6 फार्मास्युटिक्स द्वारा निर्मित इंजेक्शन को मूल्य उल्लंघन में बेचा जाना पाया गया। पिपेरासिलिन 4000 मिलीग्राम और टैजोबैक्टम 500 मिलीग्राम युक्त इंजेक्शन पर लेबल पर 546 छपा था, जबकि दवा की वास्तविक अधिकतम कीमत 399 थी। जीएसटी जोडने पर भी, दवा की कीमत प्रति शीशी 98 रुपये अधिक थी। "फर्म ने उत्पाद की कीमत अधिक रखी। इसने प्रति शीशी 98.84 रुपये अधिक वसूले, जो ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का उल्लंघन है नारायणपेट में एक दुकान पर अलग से छापेमारी में डीसीए अधिकारियों ने एक आयुर्वेदिक दवा 'आयु आरसी' सिरप जब्त किया, क्योंकि उस पर भ्रामक विज्ञापन बनाकर दावा किया गया था कि यह गुर्दे की पथरी का इलाज करती है।

नशीली दवा के साथ युवक गिरफ्तार, जेल भेजा

महराजगंज: नशीली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इंडो-नेपाल बार्डर पर लक्ष्मीपुर खुर्द पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई संयुक्त रूप से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसएसबी के सहायक कमांडेंट सफवान एन ने बताया कि गुप्त सूचना पर बीओपी इंचार्ज जयंता घोष व लक्ष्मीपुर चौकी इंचार्ज ब्रह्मकुमार उपाध्याय व ड्रग इंस्पेक्टर शिव कुमार नायक की संयुक्त टीम ने लक्ष्मीपुर खुर्द के पश्चिम बने पोल्ट्री फार्म वाले रास्ते पर जांच की। इस दौरान एक युवक की तलाशी में नशीली दवा बरामद हुई। आरोपी युवक के पास झोले से 89 प्राक्सीको स्पास कैप्सूल व 480 स्पासप्रोक्स कैप्सूल मिले। आरोपी युवक का नाम सैफ रजा पुत्र स्व. मोहम्मद तारीफ बताया गया है। वह सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा चुनवटिया का निवासी है। आरोपी को पकडने वाली टीम में कांस्टेबल अजीत यादव, पवन गिरि, एसएसबी हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल मुन्ना कुमार, रणधीर सिंह,प्रदीप सिंह शामिल रहे। ठूठीबारी कोतवाली के एसओ नीरज राय ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है।

480
स्पासप्रोक्स कैप्सूल व 89 प्राक्सीको स्पास कैप्सूल मिले युवक के झोले से

उत्तराखंड में अस्पतालों के बाहर चल रहे ब्लड बैकों का नहीं होगा लाइसेंस रिन्यू

देहरादून: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैकों को लेकर नई गाईडलाइन जारी की है। इस गाईडलाइन के जारी होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि अस्पताल से बाहर खुले ब्लड संेटरों के लाइसेंसों का अब नवीनीकरण नहीं होगा।

उन्होनें कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग के पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से, जो रक्त केंद्र अस्पताल परिसर के भीतर स्थित नहीं हैं, उन्हें अब लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) को नहीं भेजे जाएंगे। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन नई दिल्ली द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो अस्पताल परिसर के बाहर स्थित रक्त केंद्रों को अब से कोई भी अनुदान या नवीनीकरण प्राप्त करने से बाहर करने की सिफारिश करता है। राज्य औषधि प्रशासन औषधि नियम, 1945 के नियम 122जी के तहत इस नीति को लागू कर रहा है। इस नियम के अनुसार, रक्त केंद्रों के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन उन संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने सहित निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करें। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ ब्लड सेंटर वर्तमान में अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं।

उपरोक्त नियमों के मद्देनजर, स्पष्ट किया जाता है कि केवल अस्पताल परिसर के भीतर स्थित रक्त केंद्र ही लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार के पात्र होंगे। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड का कार्यालय रक्त केंद्रों के संचालन में सुरक्षा और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उपाय का उद्देश्य राज्य भर में रक्तदान और आधान सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है।अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के कार्यालय से संपर्क करें।

Manish Totala
9826330521
TOTALA
HERBAL REMEDIES PVT. LTD.
'Serving Mankind thru Quality Herbal Products'
Admn. Off.: 57, IIIrd Floor, Dawa Bazar, 13-14, R.N.T. Marg, INDORE-1 (M.P.)
Tel.: 0731-2705637, Fax : 0731-2706624
e-mail : info@totalaherbal.com
Website : www.totalaherbal.com
Livtech Syrup/Tab./Drop, PYORE Syrup/Tab., Gascon Syrup/Tab./Drop, Cuffs Syrup/Tab./Drop, H-Cid Syrup/Tab., Rheumo Syrup/Tab/Cap/Oil, Appetin Syrup, URO CURE Syrup/Tab., Memon Syrup
Veginol Tablet, Mensta Forte Cap/Tab., Pregcare Tablet, Worm-Cure Syrup/Tab., Obegon Capsule, HemoState Tablet, Piloril Tablet, Herbo-spas Tablet, De-sentril Syrup/Tab., Broncholene Syrup/Tab.
H-Vit Malt/Syrup/Tab., Spermax Capsule, T.H.-Cordial Syrup/Tab., BLUE HEAVEN Cap./Oil/Tab., Denseben Tablet, Ferti-F Capsule, Fevgen Syrup/Tab., Vedansh Oil
Menoril Tablet, Migraino Tablet, Dibitrol Capsule, Hatchcal Tablet, Venus Oil, BP Norm Tablet, Prostil Tablet, Lactoplus Capsule
५०० से अधिक उत्पाद, वटी, बूटी, घनवटी, सिंगल हर्बचूर्ण, गूगल, खरलीय रसायन, स्वर्णयुक्त औषधि
थर्ड पार्टी निर्माता उपलब्ध
नोटः आयुर्वेदिक अनुभवी मैडीकल प्रतिनिधि भी चाहिए

स्वागत समारोह

केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुशील त्यागी जी का खान मार्केट के सभी दवा व्यापारियों ने स्वागत किया और उनके विचार सुने और सुशील त्यागी जी ने सभी को आश्वासन दिया की जल्द ही विवेक चौहान को जिले में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और उन्होंने कहा की हम खान मार्केट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है और बाद में खान मार्केट के सभी दवा व्यापारियों ने सर्व सहमती से विवेक चौहान और जितेंद्र शर्मा जी को खान मार्केट की अहम जिम्मेदारी दी। शिवम कश्यप बीजेपी के महा नगर उपाध्यक्ष जी ने सभी को एकत्रित रहने के बारे में विस्तार से समझाया। मंच का संचालन सतीश गुंबर जी ने किया। सभा की अध्यक्षता राज. कुमार अरोड़ा और धर्म वीर सैनी ने की और सभा में दानिश सौरव गर्ग, संजय त्यागी, इंद्रजीत, मनीष गुप्ता, दीपक कालरा, मनोज गुप्ता, सोम जुनेजा, ललित आहूजा, संकेत गोयल, अमित मेंहदीरत्ता, कुलदीप आदि उपस्थित रहे।

विराट दिव्यांग कैंप आयोजित

गुडगांव (चिल्कापुर): अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा सामुदायिक केन्द्र मे एक विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। गुदगांव की सरपंच हेम लता लोखंडी, एकीकृत ग्रामीण विकास संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. उपमा दीवान व तरुण मित्र परिषद के महासचिव अशोक जैन ने दीप प्रज्ज्वलित कर कैम्प का शुभारंभ किया। सरपंच हेम लता ने अपने उद्बोधन मे उनके व 100 से अधिक ग्रामीण दूरदराज के दिव्यांगजनों व बुजुर्ग नवनहीन बंधुओं को सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु कैम्प लगाकर सराहनीय कार्य किया है । परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि यह कैंप सुधा एंडले की स्मृति मे योगेश एंडले, नोएडा के सहयोग से लगाया गया जिसमे दिव्यांगों को 16 तिपहिया साइकिलें, 8 व्हील चेयर, 13 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग (हाथ व पैर), 20 पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स व 6 बैसाखियां, 12 ऑर्थोशूज, 16 वॉकर व स्टिक आदि का चयन कर नाप लिया गया। इसी प्रकार 29 श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवणयंत्र उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया। यह सभी सहायक उपकरण दिल्ली स्थित कार्यशाला मे तैयार कर 16 जून को यहीं प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में परिषद के संगठन सचिव राकेश जैन, सहसचिव आलोक जैन, रविन्द्र कुमार जैन, सविता व्यास, रघुराम चीपा ने भरपूर सहयोग दिया।

अशोक जैन, महासचिव, 9810138138, 9266638138

दावा : प्लास्टिक में पैक भोजन से मधुमेह की परेशानी बढ़ रही

आगरा: वरिष्ठ संवाददाता। प्लास्टिक में पैक भोजन की थाली, पॉलीथिन में पैक की गई सब्जी- दालें और पैक्ड जूस या बिस्किट मधुमेह की बीमारी दे सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के अध्ययन में यह दावा किया गया है। मेडिसिन विभाग ने मधुमेह के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन शुरू किया है। कुल 50 महिलाएं अध्ययन में शामिल की गई हैं। 30 महिलाओं की सैंपिलंग जांच में गर्भावस्था के दौरान इन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज पाई गई है। आमतौर पर चार से 18 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं इस मधुमेह का शिकार होती हैं। अच्छी बात यह कि प्रसव के बाद 90 प्रतिशत महिलाओं में यह मधुमेह खुद खत्म हो जाता है। नमूनों की जांच में इसका कारण प्लास्टिक की चीजों में खाद्य सामग्री का भोजन बताया गया है। दरअसल, प्लास्टिक और पॉलीथिन में शबिस्फेनाल-एश (बीपीए) नामक जिन महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, उन्हें रोग लगने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। करीब 60 फीसदी महिलाएं कुछ समय बाद श्फ्रंट डायबिटीजश का शिकार हो जाती हैं। उनका वजन बढ़ जाता है। साथ ही होने वाले बच्चों का वजन भी अधिक हो जाता है। बच्चे सामान्य से अधिक वजन वाले पैदा होते हैं।

वॉक करने का एकदम नया तरीका, क्या आपने ट्राई की है पॉवर वॉक

वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है जिससे आप लंबे समय तक फिट रह सकते हैं। हालांकि वॉक में आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं ये भी जरूरी है। फिट रहने के लिए 5 मिनट की पॉवर वॉक भी काफी है। जानिए क्या है वॉक करने का ये नया स्टाइल? आजकल लोग अपने सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं। सोसाइटीज के पार्क, क्लब और सड़कों पर लोग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ लोग सुबह शाम दोनों टाइम लंबी वॉक करते हैं। वैसे वॉक को सबसे अच्छी फिटनेस एक्सरसाइज माना जाता है। इससे आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है। हालांकि कई बार लोगों के पास जिम या एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता है।

ऐसे लोग कभी भी कहीं भी आसानी से वॉक कर सकते हैं। आज हम आपको वॉक के ऐसे 3 स्टाइल बता रहे हैं जिसमें आपके पास जितना समय है उस हिसाब से वॉक कर सकते हैं। इससे तेजी से वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। **5 मिनट की पावर वॉक**-अगर आप ऑफिस में हैं या सुबह आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप सिर्फ 5 मिनट की पावर वॉक ट्राई कर सकते हैं। इससे वजन भी कम होगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पावर वॉक में आपको अपने स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। आपको वॉक करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। हाथों को भी स्पीड में आगे पीछे करना होगा। चलते समय अपनी एडी को पहले और पंजे को बाद में टिकाएंगे। यानी वॉक में पहले हील टच होगी फिर पंजे। इस तरह से की गई वॉक सामान्य वॉक से ज्यादा असरदार होती है। इसीलिए इसे पॉवर वॉक कहा जाता है। **20 मिनट की वॉक**-जिन लोगों के पास 20-25 मिनट का समय वॉक के लिए है वो शुरुआत में पॉवर वॉक करके 3-4 मिनट वॉर्म अप कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल वॉक शुरु कर सकते हैं। लेकिन इस वॉक में आपको हर 5 मिनट में एक मिनट के लिए पावर वॉक करनी है। यानि 4 मिनट की नॉर्मल वॉक और 1 मिनट की फास्ट वॉक करनी है। आपको पैटर्न पॉवर वाक का फॉलो करना है। हील से पंजे की तरफ पैर को लेकर आना है। इस तरह आप 5 मिनट पॉवर वॉक और 15-20 मिनट नॉर्मल वॉक कर सकते हैं।

40 मिनट की वॉक-हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 मिनट की वॉक को गोल्डन एक्सरसाइज का रूल मानते हैं। इससे आप लंबे समय तक खुद को फिट रख सकते हैं। इसलिए जो लोग फिटनेस को लेकर चिंतित रहते हैं वो रोज 40 मिनट का समय अपनी वॉक के लिए जरूर निकाल लें। 40 मिनट की वॉक से शरीर और मन दोनों हेल्दी रहेंगे। आप इसमें नॉर्मल स्पीड में वॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो इसमें कुछ देर जॉगिंग या रनिंग भी शामिल कर सकते हैं। रोजाना 40 मिनट की वॉक आपकी फिटनेस को मेंटन रखने के लिए जरूरी है।

ऑनलाइन दवा व्यापार के खिलाफ एआईओसीडी ने छेड़ी मुहिम

हम ऑनलाइन या अन्य दूसरे माध्यम से हो रही ठगी और धोखाधड़ी से बच जाएंगे। आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन के सिंघल ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले नकली दवा और दवाइयों के व्यापार में छापामार कार्रवाई में करोड़ों रुपए की नकली दवाएं बरामद हुई हैं। अकेले पकड़ाई हैं। इसके अलावा हैदराबाद में लाखों रुपए की नकली इन्सुलिन बरामद की गई है। इसी तरह दिल्ली में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला 1 लाख 90 हजार रुपए के इंजेक्शन में पानी भर कर कैंसर के अस्पतालों को भेज रहे थे। इस मामले में हॉस्पिटल स्टाफ को ही गिरफ्तार किया गया है। इसलिए आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट, दवा संगठन ने ऑनलाइन दवा व्यापार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि अपना व्यापर केवल अपने परिचितों के साथ करें। शहर सहित सारे देश में 12 लाख 40 हजार सदस्य वाले संगठन आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा खरीदने-बेचने और अजनबी लोगों से व्यापार करने के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। देशभर में इस अभियान की शुरुआत इंदौर से ही की गई है।

इस संगठन ने इंदौर, मध्यप्रदेश सहित सारे देश के अपने दवा व्यापारियों से कहा है कि सभी केमिस्ट अथवा दवा व्यापारी अपनी जान-पहचान वाले व्यापारी से ही व्यापार करें। कम कीमत और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ऑनलाइन दवा मंगवाने वाले हर रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस ठगी में सिर्फ मरीज या मरीज के परिजन ही नहीं, बल्कि कई दवा व्यापारी भी ऑनलाइन मेडिसिन बिजनेस के झांसे में फंसकर लाखों-करोड़ों का नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए देश मे 12 लाख 40 हजार सदस्य वाले संगठन आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस संगठन ने इंदौर मध्यप्रदेश सहित सारे देश के अपने दवा व्यापारियों से कहा है कि वे पहले की तरह अपनी जान पहचान वाले से ही व्यापार करे।

1680 अल्प्राजोलम नशीली टेबलेट के साथ आरोपी काबू

कैथल (हरियाणा): नशीली गोलियां बेचने के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1680 टेबलेट बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई एंटी नारकोटिक सैल ने गांव स्यों माजरा में की। एसपी उपासना के आदेशों की अनुपालना करते हुए पुलिस युवा वर्ग को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए अपराधियों पर निरंतर लगाम कस रही है। इसके अंतर्गत नशीली टेबलेट का धंधा करने वाले एक आरोपी को काबू कर लिया गया। एंटी नारकोटिक सैल प्रभारी एसआई बलराज सिंह की अगुवाई में एसआई जोगिंद्र सिंह की टीम ने गश्त के दौरान गांव स्यो माजरा दाबन खेड़ी मोड़ पर मौजूद थी। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि गांव स्यों माजरा निवासी मलकीत अपने घर के आसपास ग्राहकों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचने का धंधा करता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मलकीत के मकान पर दबिश देकर संदिग्ध मलकीत को एक थैले सहित काबू कर लिया।

जब संदिग्ध की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे में थैले से अल्प्राजोलम के 10 गोलियों के 168 पत्तों से 1680 गोलियां बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी टैबलेट रखने के संबंध में कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सका। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने इन टैबलेट को प्रतिबंधित बताया। इसके चलते आरोपी के खिलाफ थाना गुहला में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है।

SHIVED LIFE MEDICARE
Devoted to Healthier Life
3RD PARTY MANUFACTURING
आपकी अपनी खुद की कंपनी बनाएं, आपका अपना BRAND PRODUCT
DRUG CATEGORIES: ALLOPATHIC, NUTRA/FOOD, AYURVEDIC, COSMETICS
ENQUIRE FOR: PCD MONOPOLY PHARMA FRENCHISE, & MANUFACTURING PRODUCT OWN YOUR BRAND
DOSAGE FORMS: TABLETS, CAPSULES, ORAL LIQUIDS, SYRUP, OINTMENT, INJECTIONS, COSMETICS, DROPS
CORPORATE / MARKETING OFFICES :-
AHMEDABAD: SHIVED LIFE MEDICARE (+91 8309173263, +91 79996 06656)
INDORE: INTEGRATED HEALTHCARE 107, 3rd Floor, 13-14 RNT MARG, DAWA BAZAR, INDORE (M.P.) Cont. +91 9755923730

अल्प्राजोलम टेबलेट की अवैध निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो अरेस्ट

नई दिल्ली: अल्प्राजोलम टेबलेट की अवैध निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान जिला बिजनोर निवासी संजय कुमार शर्मा (42) और उत्तर प्रदेश के जिला बागपत निवासी राजवीर उर्फ राजीव कुमार (38) के रूप में हुई है। बताया गया है कि आरोपी राजवीर अल्प्राजोलम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का सप्लायर था। जानकारी अनुसार पुलिस ने 25 अप्रैल को एक अंतर-राज्य साइकोट्रोपिक पदार्थ आपूर्ति कार्टेल का भंडाफोड़ किया था। इसमें तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों चौधरी, रचित और वांगा राजेंद्र गौड़ से पुलिस पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने गजरौला के गांव सलेमपुर गौसाई में टपकेश्वर मंदिर के पास मादक पदार्थ अल्प्राजोलम बनाने की अवैध फैक्ट्री स्थापित की थी। अमरोहा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री की तलाशी ली गई और अल्प्राजोलम के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़ी संख्या में कच्चे माल की बरामदगी हुई। इसमें कुल मिलाकर 1170 किलोग्राम नमक और 400 लीटर रसायन मिला। पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) अमित कौशिक ने कहा कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और अल्प्राजोलम के उत्पादन के लिए पूरी तरह सुसज्जित थी। फैक्ट्री को जब्त कर लिया गया, लेकिन मालिक और कच्चे माल के सप्लायर बड़े पैमाने पर थे। फैक्ट्री के मालिक संजय को 14 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास किसी दवा या अल्प्राजोलम के निर्माण के लिए ड्रग विभाग से कोई लाइसेंस नहीं था। आरोपी संजय के घर से उसके सहयोगियों से संपर्क करने और कार्टेल चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता राजवीर को गिरफ्तार कर लिया गया।

मेडिकल स्टोर से आयुर्वेदिक सिरप जब्त, किडनी स्टोन के इलाज का झूठा दावा

हैदराबाद: मेडिकल स्टोर से ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के अधिकारियों ने एक आयुर्वेदिक 'स्टोन क्रश' सिरप जब्त किया गया है। बताया गया है कि इस दवा के लेबल पर किडनी स्टोन के इलाज का झूठा दावा किया गया है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के अधिकारियों ने रंगारेड्डी जिले के कोथुर मंडल के कोथुर गांव में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान सिरप जब्त किया है। इसके पैकिंग लेबल पर भ्रामक दावा किया गया था कि यह किडनी के अन्दर की गांठ का इलाज करता है जोकि यह दावा बिलकुल गलत है।

छापेमारी के दौरान इस सिरप का स्टॉक जब्त कर लिया गया। छापेमारी करने वाले अधिकारियों में शबद के ड्रग्स इंस्पेक्टर अन्वेश, राजेंद्रनगर के ड्रग्स इंस्पेक्टर जी. रविकिरन और राजेंद्रनगर के ड्रग्स इंस्पेक्टर पी. चंद्रकला शामिल हैं। डीसीए के अनुसार ऐसे विज्ञापन औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन हैं, जो कुछ बीमारियों और विक. ारों के उपचार के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।

एन्टोड ने विटामिन डी3 से भरपूर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स लॉन्च की

मुंबई: एनटोड फार्मास्यूटिकल्स ने अपना नवीनतम इनोवेशन, विटामिन डी3 समृद्ध लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप लॉन्च किया है। ये नए फॉर्मूलेशन नेत्र स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सूखी आंखों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लक्षित राहत प्रदान करते हैं, जो भारत में अपनी तरह की पहली पेशकश है। विटामिन डी3 को अब कंपनी के कुछ चुनिंदा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ब्रांडों में शामिल किया गया है, जिन्हें वर्तमान में सूखी आंखों के लिए नेत्र चिकित्सकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम एक प्रचलित स्थिति है जिसमें असुविधा, जलन और यहां तक कि दृष्टि हानि भी होती है। सूखी आंखों के मुख्य कारण पर्यावरणीय कारक, विटामिन की कमी, पलकें झपकाने की खराब आदतें, कॉन्टैक्ट लेंस, डिजिटल डिवाइस, धूम्रपान, अपवर्तक सर्जरी और बहुत कुछ हैं।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, एनटोड फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ निखिल के मसुरकर ने कहा, विटामिन डी3 और अन्य प्रमुख सामग्रियों की शक्ति का उपयोग करके, हमारा लक्ष्य सूखी आंखों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावी राहत प्रदान करना है, जिससे अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। नियमित सूखी आंखों के उपचार में विटामिन डी3 को शामिल करने से नेत्र सतह के हेमोस्टेसिस मापदंडों में सुधार होता है, बेहतर आंसू स्थिरता और बेहतर आंसू ऑस्मोलेरिटी होती है, और कॉर्नियल में हो चुके घाव को भरने में मदद मिलती है। विटामिन डी3 से भरपूर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप केवल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर नुस्खों के माध्यम से ही उपलब्ध होंगे। आंखों के स्वास्थ्य पर विटामिन डी के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर देते हुए, केएमसी आई एंड स्किन हॉस्पिटल, उल्वे नवी मुंबई के मोतियाबिंद और कॉर्निया सर्जन डॉ. गणेश कल्याणशेट्टी ने कहा, विटामिन डी की कमी को विभिन्न आंखों की स्थितियों, जिसमें ड्राई आई सिंड्रोम भी शामिल है, और इसे एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। विटामिन डी के अपर्याप्त स्तर न केवल आंसू उत्पादन से समझौता करते हैं बल्कि नेत्र सतह के स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, जिससे व्यक्तियों को असुविधा और दृष्टि संबंधी गड़बड़ी होने का खतरा होता है। विटामिन डी3 की कमी एक व्यापक समस्या है, खासकर भारत जैसे सीमित धूप वाले क्षेत्रों में।

अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी3 का अपर्याप्त स्तर आंखों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे उम्र से संबंधित धब्बेदार अधः पतन, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी और सूखी आंख सिंड्रोम जैसी स्थितियां हो सकती हैं। मई 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 76 प्रतिशत भारतीय विटामिन डी की कमी और अपर्याप्तता से पीड़ित हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलन युवा वयस्कों में है।

पैनल यह जांच करेगा कि क्या न्यूट्रास्युटिकल्स का उत्पादन औषधि इकाई के भीतर किया जा सकता है

नई दिल्ली: पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या दवा निर्माण सुविधाओं के भीतर न्यूट्रास्युटिकल्स के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत के दवा नियामक ने पहले कहा था कि एक ही सुविधा में सप्लीमेंट और दवाओं का निर्माण करके मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न फार्मा लॉबी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद, दवा नियामक ने एक समिति बनाई है जो इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी। समिति में नियामक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER) के विशेषज्ञ और एक उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं। नोटिस औषधि निर्माण सुविधा में न्यूट्रास्यूटिकल्स के निर्माण की अनुमति देने पर विचार करने के लिए उद्योग संघों के अनुरोध की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति तीन सप्ताह की समयावधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ईटी ने पहले बताया था कि सरकार उद्योग निकायों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद उसी सुविधा में न्यूट्रास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य पूरक और दवाओं का निर्माण करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ काम करने वाली फार्मा लॉबी फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स (Fope) ने कहा था कि इस संबंध में कोई भी रोक न केवल निर्यात बल्कि घरेलू बाजार को भी प्रभावित करेगी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की संशोधित अनुसूची एम के तहत, दवाओं के लिए स्वीकृत विनिर्माण सुविधा का उपयोग अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। फोपे के अधिकारियों ने स्वास्थ्य सचिव और भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से भी मुलाकात की थी, जिसमें पहले दी गई छूट के अनुसार चुनिंदा इकाइयों को छूट देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2001 से पहले स्थापित इकाइयों को पहले छूट दी गई थी।

Mahesh Mhaskar
Partner
7058051772
MVM Pharma
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
Regd. Office :
Shivranjani House,18, Sitabaug Colony, Ganeshmala, Pune- 416 030
Branch Office :
Siddhivinayak Orchid, Shop No. 1,2,3 Patrakar Nagar, Sangli 416 416
Telephone :
0233-2531676, 9923377731, 9423829570
Email : mvmpharma@gmail.com

Irfan Khan 9623445500
Imran Khan 9226370899
MIRAJ DISTRIBUTORS
WHOLESALE SURGICALS & PHARMACEUTICALS
898/A, Near Rahamatullah Restaurant,
Opp. Mohammediya Masjid, Shivaji Road, Miraj 416 410
Ph.0233-2222600 Mail ID : mirajdistributors@yahoo.co.in

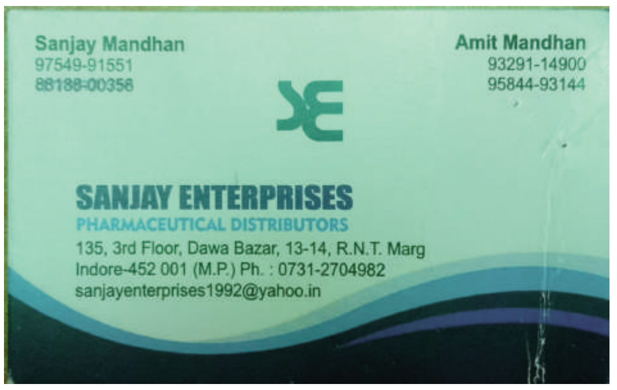

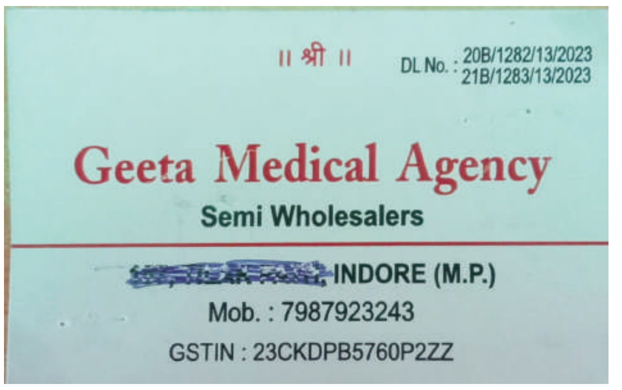

राजस्थान के अस्पताल ने गलत ऑपरेशन कर मरीज की स्वस्थ किडनी निकाली

जयपुर: झुंझुनू जिले के एक निजी अस्पताल में 30 वर्षीय महिला अपनी बीमार बाईं किडनी के इलाज के लिए वहां भर्ती हुई लेकिन स्वस्थ दाईं किडनी निकाल दी, जिससे वह जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। एक स्थानीय भाषा के दैनिक ने इस खराब सर्जरी की खबर दी, जिसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया। नुआ गांव की ईद बानू को जयपुर के सरकारी एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया था, जब झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में डॉ. संजय धनखड़ नामक विशेषज्ञ की देखरेख में सर्जरी के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। ईद बानू को किडनी की पथरी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बीमार किडनी को निकालने की सलाह दी थी। 15 मई को डॉ. धनखड़ और उनकी टीम ने संक्रमित बाईं किडनी के बजाय उसकी दाईं किडनी निकाल दी। जब उसकी हालत बिगड़ गई, तो अस्पताल ने उसे जयपुर के सरकारी एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया, महिला के चचेरे भाई साजिद अली ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया।

निर्माण मजदूर अली ने बताया, एसएमएस अस्पताल में ही हमें पता चला कि संक्रमित किडनी के बजाय स्वस्थ किडनी निकाल दी गई है। अगले सप्ताह एसएमएस अस्पताल में बानू की सेहत में इतना सुधार हुआ कि छुट्टी देने के लिए फिट माना गया, लेकिन उसका शरीर सूज गया, जिसके कारण उसे बीकानेर में एक सरकारी अस्पताल में आपातकालीन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस अस्पताल ने कथित तौर पर बानू की दुर्दशा के बारे में अधिकारियों को नहीं बताया, धनकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई में देरी की, जब तक कि अखबार की रिपोर्ट में उसकी दुर्दशा को उजागर नहीं किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया था, लेकिन एसएचओ सुरेश उपाध्याय ने कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं थी। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा, हमने मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं और अस्पताल को सील कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) शुभ्रा सिंह ने कहा कि विभाग ने निजी अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान आरोग्य योजना सहित विभिन्न सरक.
ारी स्वास्थ्य योजनाओं में अस्पताल की सूची को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है। उसकी हालत बिगड़ने पर, बानू को अब बीकानेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका डायलिसिस होने की संभावना है। उसकी संक्रमित किडनी को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने का प्रयास तभी किया जा सकता है जब उसकी हालत स्थिर हो जाए और उसमें सुधार हो जाए।

आइसक्रीम, चिप्स और बर्गर के ज्यादा सेवन से स्ट्रोक का खतरा

शोध के अनुसार, दुनिया में करीब 14 फीसदी वयस्क और 12 फीसदी बच्चे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की लत के शिकार हैं। इन खाद्य पदार्थों को लेकर लोगों में जो लगाव है वह करीब-करीब शराब और तंबाकू जितना ही बढ़ चुका है। फ्राइज, चिप्स, बर्गर, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स यानी बेहद ज्यादा प्रोसेस किए जाने वाले खाद्य पदार्थ लोगों को शारीरिक और दिमागी तौर पर बीमार बना रहे हैं।

एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के ज्यादा सेवन से सोचने-समझने, पढ़ने, सीखने और याद रखने की क्षमता में गिरावट के साथ स्ट्रोक के खतरे बढ़ रहे हैं। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं के अध्ययन के नतीजे जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। यह अध्ययन अमेरिका में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के 30,239 लोगों पर किया गया है। इन पर करीब ग्यारह वर्षों तक नजर रखी गई। शोधकर्ताओं ने इस बात की जांच की है कि उनका कितना भोजन बेहद ज्यादा प्रोसेस किया हुआ था। अध्ययन की शुरुआत में इन सभी लोगों में स्ट्रोक या सोचने-समझने तथा सीखने की क्षमता में गिरावट का कोई इतिहास नहीं था। अध्ययन के अंत तक 768 लोगों में संज्ञानात्मक हानि यानी सोचने समझने की क्षमता में गिरावट देखी गई जबकि 1,108 में स्ट्रोक की समस्या सामने आई।

क्या लू लगने से भी हो सकती है मौत? डॉक्टरों से जानिए इसके जोखिम और बचाव के तरीके

देश के अधिकतर राज्य इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कई स्थानों पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। उच्च तापमान को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए कई प्रकार से गंभीर और समस्याकारक मानते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, तेज धूप के संपर्क में आने से बचाव करते रहना सभी के लिए जरूरी है। इसके साथ ही खूब मात्रा में पानी पीते रहें। इनमें बरती गई जरा भी लाप.
रवाही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली-एनसीआर में लू को लेकर श्रेड अलर्ट जारी किया है। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक मार्च से अब तक देश में हीटस्ट्रोक के 16 हजार से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। डॉक्टर बताते हैं, अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हीट स्ट्रोक के कारण मौत भी हो सकती है?

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के मुताबिक शरीर का तापमान 106 F या इससे अधिक होने की स्थिति गंभीर समस्याकारक हो सकती है। अगर तापमान में कमी नहीं आती है या फिर व्यक्ति को समय रहते आपातकालीन उपचार नहीं मिल पाता है तो हीट स्ट्रोक स्थाई विकलांगता या मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में राजस्थान के कई शहरों से हीट स्ट्रोक के कारण मरने वाले लोगों की खबरें सामने आ रही है।

दिल्ली स्थित एक अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ भास्कर शुक्ला बताते हैं, हाल के दिनों में एक 90 वर्षीय पुरुष और 78 वर्षीय महिला को हीट स्ट्रोक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें स्ट्रोक के लक्षण जैसे बोलने में कठिनाई और बांहों में कमजोरी आ गई थी। डिहाइड्रेशन के कारण हीट स्ट्रोक होना और स्ट्रोक के बाद डिहाइड्रेशन की स्थिति स्वास्थ्य जटिलताओं को काफी बढ़ाने वाली हो सकती है। इस तरह के जोखिमों से बचे रहने के लिए उच्च तापमान के संपर्क में आने से बचना और निर्जलीकरण के जोखिमों को कम करने के लिए खूब पानी पीते रहना जरूरी है। गंभीर स्थितियों में इसके जानलेवा दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। दिल्ली स्थित एक अन्य अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ प्रखर सहाय कहते हैं, हीट स्ट्रोक की गंभीर स्थिति ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकती है। निर्जलीकरण के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर (बीबीबी) में बाधा आ जाती है जिसके कारण रक्त गाढ़ा होने और वाहिक.
ाओं के भीतर थक्का बनने का जोखिम बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक को जानलेवा स्थितियों में से एक माना जाता है।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया, 4 पर 65 हजार का जुर्माना

बिजनौर (उप्र): प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाप.
रवाही बरतना महंगा साबित हुआ है। स्वास्थ्य और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने चार अस्पतालों का निरीक्षण किया और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं करने पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। डॉ. सुशील कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम को सुपर वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कमियों का भंडार मिला। जिस रीजेंट से पैथोलॉजी लैब में जांच होती है, वह एक्सपायर मिला। कई दवाइयां भी एक्सपायर मिली। इसके अलावा प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं था। साथ ही, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एमएस हॉस्पिटल में खुले में मिला जैव चिकित्सा अपशिष्ट बिजनौर में ही नूरपुर रोड स्थित एमएस हॉस्पिटल में खुले में ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट पड़ा मिला। इसके चलते अस्पताल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, कुंदन हॉस्पिटल में रखे डिब्बे जैव चिकित्सा अपशिष्ट से भर गए थे। बदबू भी आ रही है। इस वजह से अस्पताल पर टीम ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लाइफ लाइन हॉस्पिटल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को नगरपालिका के कूड़ेदान में रखा था। इस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर डॉ. हितेंद्र कुमार, आलोक कुमार, नगरपालिका से संदीप कुमार मौजूद रहे। बिजनौर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुशील कुमार का कहना है कि जिले में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर जुर्माने की राशि दोगुनी की जाएगी।

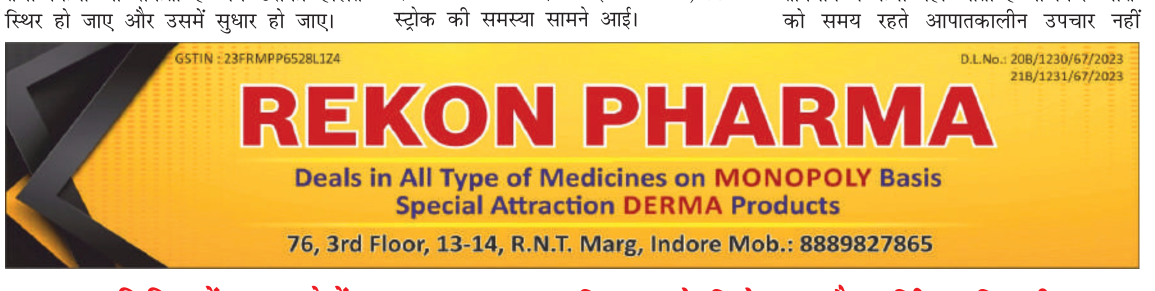

स्वास्थ्य शिविर में 105 लोगों की निशुल्क हुई स्वास्थ्य जांच

हरिद्वार: भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट द्वारा menstural hygiene दिवस पर भूमानंद के छात्र – छात्राओं द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर मे 105 लोगों का फिजिकल चेक उप, आईज टेस्टिंग तथा जनरल मेडिसिन का वितरण किया गया और छात्र छात्रों ने menstural hyigene की स्वच्छता एवं सुरक्षा की जानकारी दी स्वास्थ्य शिविर लक्सर के कुतुबपुर गांव मे आयोजित किया गया। भूमानन्द कॉलेज के बीएससी के चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने सहयोग किया। शिविर मे डॉ शारुख, डॉ गुरनाज, आईज स्पेशलिस्ट डॉ संगीता, मिस्टर जुनैद, मिस अंकिता आदि उपस्थित रहे।

अस्पतालों के विस्तार के लिए 1,300 करोड़ की योजना बनाई

नई दिल्ली: फोर्टिस हेल्थकेयर अगले कुछ वर्षों में मौजूदा अस्पतालों में क्षमता विस्तार के लिए 1,300 करोड़ रुपये तक का निवेश कर रही है, यह जानकारी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। हेल्थकेयर प्रदाता का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में करीब 2,200 बिस्तर जोड़ना है। इसलिए, इसमें कुछ पूंजीगत व्यय पहले ही किया जा चुका है। फोर्टिस हेल्थकेयर के सीएफओ विवेक गोयल ने विश्लेषकों से बातचीत में कहा, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करीब 1,200 करोड़ रुपये से 1,300 करोड़ रुपये के बीच होगा, जिसमें उपकरण और बाकी सभी चीजें शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग को मिले 37 और नर्सिंग अधिकारी

देहरादून: सूबे के स्वास्थ्य विभाग को 37 नये नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरांत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती दे दी है। इनमें से 34 नर्सिंग अधिकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के निर्णय के क्रम में जबकि 3 नर्सिंग अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों की पुष्टि के उपरांत तैनाती दी गई। नये नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी साथ ही चिकित्सा इकाईयों में मरीजों के बेहतर उपचार एवं देखभाल भली-भांति हो सकेगी। नैनीताल उच्च न्यायलय में दायर रिट याचिका पर कोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने 34 नर्सिंग अधिकारियों का चयन परिणाम जारी कर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को उक्त नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति की। जिसके उपरांत स्वास्थ्य महानिदेशालय ने निर्वाचन आयोग की अनुमति पर इन 34 नर्सिंग अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों की पुष्टि से वंचित रहे गये 03 नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती दे दी गई है। जिसमें से जनपद चमोली में 07 नर्सिंग अधिकारी की तैनाती की गई है। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग में 03, पौड़ी 08, टिहरी 01, उत्तरकाशी 05, नैनीताल 01, अल्मोड़ा 02, बागेश्वर 01, पिथौरागढ़ 07 तथा चम्पावत 02 शामिल है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में रिक्त महिला एवं पुरूष नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों को भरने के लिये विगत वर्ष उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया था। जिसके उपरांत चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कर सितम्बर 2023 को वर्षवार श्रेष्ठता सूची तैयार कर कुल रिक्त पदों के सापेक्ष विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत 1377 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया। जबकि वर्षवार श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले 84 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं के क्रम में रोक दिया गया था। न्यायालय में दाखिल याचिकों पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को 34 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश दिये। जिस पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी नए नर्सिंग अधिकारियों को तैनाती दे दी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 34 नर्सिंग अधिकारियों एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की पुष्टि से वंचित रह गये तीन नर्सिंग अधिकारियों सहित कुल 37 नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में तैनाती दे दी है। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि सभी नर्सिंग अधिकारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे।

ग्रीन हॉस्पिटल किया सील, अवैध रूप से संचालन करने पर दिया था नोटिस

मुजफ्फरनगर: ग्रीन हॉस्पिटल में अवैध रूप से बच्चों की नर्सरी का संचालन किए जाने पर इसे सील कर दयिा गया है। टीम ने अवैध रूप से संचालित एनआईसीयू वार्ड में भर्ती एक बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। हॉस्पिटल संचालक बच्चों की नर्सरी से संबंधित कोई प्रमाणपत्र नहीं दिखा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. महावीर सिंह फौजदार के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी ने कस्बे के ग्रीन हॉस्पिटल में रेड की। हॉस्पिटल में मौके पर अवैध रूप से बच्चों की नर्सरी चलती हुई मिली। नर्सरी में मौजूद बच्चे को दूसरे चिकित्सालय में स्थानांतरित किया गया। मौके पर बालरोग चिकित्सक नहीं मिला। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने एनआईसीयू नर्सरी वार्ड को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल को पांच दिन पहले नोटिस भी दिया गया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कस्बे के हिंडन नदी पुल पार ग्रीन हॉस्पिटल में पहुंचे। मौके पर हॉस्पिटल में कोई भी बालरोग चिकित्सक नहीं मिला। हॉस्पिटल में अवैध रूप से बच्चों की नर्सरी चलाई जा रही थी। टीम ने अवैध रूप से संचालित एनआईसीयू वार्ड में भर्ती एक बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में स्थानांतरित करवाया। हॉस्पिटल संचालक बच्चों की नर्सरी से संबंधित कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिखा सके।

एनआईसीयू नर्सरी वार्ड सील की : यह भी आरोप है कि हॉस्पिटल संचालकों ने छापा मारने गई टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने अवैध रूप से संच.
ालित एनआईसीयू नर्सरी वार्ड को सील कर दिया। कार्रवाई की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को दी। बुढ़ाना प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी ने इससे पहले अवैध रूप से हाजरा हेल्थ केयर के नाम से संचालित हॉस्पिटल पर सील लगाई थी।

PALCO

Free consultancy and set up for old / new nursing home, medical center / hospitals, R&D LAB, educational science lab school, all industries lab with trunkey projects in pan India.

Contact : Mr. R.P. PAL / NEERAJ PAL

Call : 9891177191 / 8377951686

1802, FF, Electrical Market, Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi 110006

कोडिनयुक्त कफ सिरप की खेप बस में मिली, कारोबारी की तलाश

सुपौल: कोडिनयुक्त कफ सिरप की खेप एक बस से बरामद की गई है। राघोपुर थाने की पुलिस इस सिरप के कारोबारी की तलाश में जुटी है। राघोपुर थाने की पुलिस को पटना से राघोपुर पहुंची एक बस से 2120 बोतल प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद हुई। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस कोडिन युक्त प्रतिबंधित सिरप का कारोबारी कौन है।

बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बस से 18 कार्टन से 2120 बोतल यानी 212 लीटर कफ सिरप बरामद किया। इधर, राघोपुर थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से सिमराही आने वाली बस से कोडिन युक्त कफ सिरप आने वाली है। सूचना के तहत पुलिस सिमराही बाजार में पटना से आने वाली बस के समीप पहुंची तो सड़क किनारे लावारिस अवस्था में कुल 18 सीलबंद कार्टन रखे हुए मिले।

पुलिस अधिकारी और जवान काफी देर तक इस दवा के कारोबारी के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वहां कार्टन को रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा तो पुलिस ने कार्टन को खोलकर देखा तो उसके अंदर भारी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप रखा हुआ मिला। पुलिस द्वारा सभी 18 कार्टन को जब्त कर थाना लाया गया है। फिलहाल पुलिस कारोबारी की पहचान व तलाश में जुटी है।

AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF ADR BOOK

Location	Party Name	Contact No.
Agra	Satish Book Enterprises	9997877123
Ahmedabad	Bharat Medical Book House	9824013920
Akola	Book Emporium	9422861751
Aligarh	Rama Book Store	9319275252
Allahabad	Chetana Medical Books	9307978423
Amritsar	City Book Shop	0183-2571591
Amritsar	Medical Books & Surgicals Centre	0183-2422729
Aurangabad	Arihant Excel Medical Book House	9822259681
Aurangabad	Shri Samarth Book Depot	9822034577
Belgaun	Shri Ganesh Book Stall	8312461258
Berhampur	Book World	9861015189
Bhagalpur	Kora Kagaz	9771511779
Bhopal	Lyall Book Depot	0755-2543624
Bhubaneswar	Annapurna Medical Book Shop	9861243882
Bikaner	Academy Book Centre	9414138998
Burla	Bharat Book Emporium	9337335744
Calicut	Ramdas Sotes & Books	0495-2358398
Chennai	Chennai Medical Book Centre	044-66246369
Chennai	Shah Medical Books	9444829937
Coimbatore	Arasu Medical Book House	9444308567
Coimbatore	Balaji Medical Books	0422-6725292
Coimbatore	Dass Medical Book Shop	9443958620
Cuttack	Scientific Book Depot	9437020414
Delhi	Mirza Book Depot	9958723206
Delhi	Pawan Book Service	9810202316
Delhi	R.S.Book Store	9810546759
Delhi	Sagar Book Depot	9811680722
Delhi	University Book Store	9818357577
Dhulea	Koshal Book Shop	9423916592
Gorakhpur	Medical Book Centre	9450884543
Gwalior	Anand Pustak Sadan	9425114555
Indore	New Jain Book Stall	9926636333
Indore	Scientific Literature Company	9826299744
Jabalpur	Lords Book Sellers	9425155125
Jabalpur	Akash Pustak Sadan	9826563047
Jaipur	Kumar Medical Book Store	9829610430
Jammu	Bhartiya Pustakalaya	9796636000
Jammu	Narend Book Depot	9419114398
Jamnagar	Jay Medical Book Centre	9925236982
Jodhpur	Book World	9829088088
Jorhat	Naveen Pustakalaya	9435514204
Kolhapur	Ajab Pustakalaya	9881424434
Kolkata	Raj Book House	9432550891
Kota	R.K.Stationers	9829087574
Koti Hyderabad	Osmani Medical Book House	040-64644253
Koti Hyderabad	Paras Medical Books Pvt Ltd.	040-24600869
Koti Hyderabad	Sharp Medical Book Centre	040-65544303
Lucknow	Aditya Medical Books Pvt Ltd.	0522-2611724
Lucknow	Arora Book Agencies	0522-4046778
Ludhiana	Verma Book Depot	9872202530
Madurai	Medical Books & International	9344101063
Meerut	City Book Centre	0121-4056292
Meerut	Menakshi Prakashan	0121-2645498
Meerut	R LAL Book Depot	0121-2666235
Mumbai	The National Book Depot	022-24131362
Mumbai	Vikas Medical Book House Pvt Ltd.	022-23010441
Mumbai	Bhalani Medical Book House	022-24171660
Nagpur	New Medical Book Shop	9822225591
Nagpur	Book Source	9850943011
Patna	Current Book Service	9431077745
Pune	J D Granth Bhandar	020-24492832
Raipur	S.K.Medical Book House	9329637397
Raipur	Sristhi Book Stationery Mart	9300855027
Rajkot	Jay Books Medical Book	9925236984
Ranchi	Student Book Depot	0651-2221907
Saharanpur	Hans Pustak Bhandar	9457449388
Sangli	Tanavade & Sons	9823049499
Sri Nagar	Doctors Dotkom	9086454647
Tirupati	Shri Venketswar Book Depot	9885479105
Trivandram	Professional Book House	9495951506
Varanasi	Atithi Medical Books	9307978423
Varanasi	Current Book Agency	9335015235
Visakhapatnam	Andhra Medical Book Centre	9985716032
Visakhapatnam	World Medical Book Centre	9849022192

नशीली टेबलेट व कफ सिरप की खेप के साथ 3 अरेस्ट

सीधी (मप्र): नशीली टेबलेट और कफ सिरप के साथ तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मिले सिरप और टेबलेट की कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है। तीनों आरोपी लंबे समय से इस काले धंधे से जुड़े हुए बताए गए हैं। यह कार्रवाई डॉ. रविंद्र वर्मा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में विशाल शर्मा थाना प्रभारी टीम ने की है। जमोड़ी के थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहित रावत, रामनरेश रावत एवं समयलाल यादव सभी निवासी पनवार सेंगरान पड़रा नाला के पास अवैध कफ सिरप बेचने के लिए रखे हैं। सूचना पर एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर भेजी। मौके पर तीन युवक थैला लेकर बैठे थे, जोकि पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगे।

पुलिस टीम ने युवकों को घेराबंदी कर पकडने के बााद उनकी तलाशी ली। उनके थैले को खोलकर देखा गया तो उसमें ट्रामाडोल स्पासप्लस टैबलेट के कुल 20 डिब्बे 48000 नग कीमत करीब 43200 रुपये तथा आनरेक्स कफ सिरप की 110 नग कीमत 18700 रुपये कुल कीमत 61900 रुपये मिली। इन नशीली दवाओं के विक्रय के संबंध में युवकों के पास कोई काग. जात नहीं मिले। इसके चलते पुलिस ने ड्रग कंट्रोल अधिनियम की धारा एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जोखिम महिलाओं की तुलना में अधिक

नई दिल्ली: एक नए शोध में पाया गया है कि मधुमेह से पीड़ित पुरुषों को मधुमेह से पीड़ित महिलाओं की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करने का अधिक जोखिम होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मधुमेह से उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ जैसे हृदय, पैर, गुर्दे और आँख की बीमारियाँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखी गईं, भले ही उन्हें मधुमेह कितने समय से हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी शामिल हैं। अध्ययन में 25,713 लोग शामिल थे, जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक थी और उन्हें टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह था। सर्वेक्षणों के माध्यम से, प्रतिभागियों को मधुमेह के कारण विकसित प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के लिए 10 वर्षों तक फॉलो-अप किया गया। फिर प्रतिक्रियाओं को उनके मेडिकल रिकॉर्ड से जोड़ा गया।

शोधकर्ताओं ने पाया कि 44 प्रतिशत पुरुषों में स्ट्रोक और दिल की विफलता सहित हृदय संबंधी जटिलताएं पाई गईं, जबकि महिलाओं में यह संख्या 31 प्रतिशत थी। निष्कर्ष जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित हुए। इसके अलावा, 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत पुरुषों में क्रमश: पैर और गुर्दे की समस्याएं पाई गईं, जबकि महिलाओं में यह संख्या क्रमश: 18 प्रतिशत और 25 प्रतिशत थी। पैर की समस्याओं में अल्सर और हड्डियों में सूजन शामिल थी, जबकि गुर्दे की समस्याओं में पुरानी बीमारी और विफलता शामिल थी। कुल मिलाकर, शोधकर्ताओं ने पाया कि मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में मधुमेह से पीड़ित महिलाओं की तुलना में हृदय संबंधी समस्याएं विकसित होने की संभावना 51 प्रतिशत अधिक थी। मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में गुर्दे और पैर में जटिलताएं विकसित होने की संभावना क्रमश: 55 प्रतिशत और 47 प्रतिशत अधिक पाई गई। हालांकि, आंखों की जटिलताएं विकसित होने के समग्र जोखिम के संबंध में, टीम ने पुरुषों और महिलाओं के बीच थोड़ा अंतर पाया। प्रतिभागियों में से, 57 प्रतिशत पुरुषों में ये स्थितियां विकसित हुईं, जबकि महिलाओं में, 61 प्रतिशत में ये विक. सित हुईं। पुरुषों में दृष्टि को खतरे में डालने वाली नेत्र रोग डायबिटिक रेटिनोपैथी विकसित होने का जोखिम 14 प्रतिशत अधिक पाया गया। पुरुषों में हृदय रोग (सीवीडी), निचले अंग और गुर्दे की जटिलताओं का जोखिम 1. 5 गुना अधिक था, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का जोखिम 14 प्रतिशत अधिक था। ये निष्कर्ष महिलाओं की तुलना में पुरुषों में सीवीडी, निचले अंग और गुर्दे की जटिलताओं के लिए 1.4 गुना अधिक 10-वर्षीय दरों में परिलक्षित होते हैं, लेखकों ने लिखा।

शोधकर्ताओं ने कहा कि मधुमेह के कारण जटिलताएं विकसित होने की दर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए चयापचय रोग के साथ जीने के वर्षों की संख्या के साथ-साथ बढ़ी, लेकिन जटिलता दरों में लिंग-आधारित अंतर बना रहा। एक संभावित स्पष्टीकरण के रूप में, शोधकर्ताओं ने बताया कि अध्ययन में पुरुषों में अच्छी तरह से ज्ञात जोखिम कारक होने की अधिक संभावना थी।

अवैध अस्पताल पर छापेमारी, दवा दुकान को किया सील

जबलपुर: अवैध अस्पताल पर छापेमारी का मामला प्रकाश में आया है। पता चला है कि यहां दलाल मरीजों को लेकर आते थे। अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन की टीम को बताया कि पहले इस अस्पताल का नाम स्मार्ट सिटी था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया और एप्पल अस्पताल के नाम से लाइसेंस के लिए दस्तावेज दिए गए हैं। जबलपुर जिला प्रशासन की टीम ने कई अस्पतालों पर छापामारी की। इस दौरान प्रशासन को एक अस्पताल ऐसा मिला जो बिना लाइसेंस का संचा. लित हो रहा था। टीम ने शहर के शारदा चौक स्थित एप्पल अस्पताल पर छापा मारा और जांच के दौरान भारी अनियमितताओं को पाया। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि इस अस्पताल का लाइसेंस ही नहीं है और उसके बावजूद मरीजो को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल में संचालित हो रही दवा दुकान को सील कर दिया है। जबलपुर के शारदा चौक स्थित एप्पल हॉस्पिटल में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर छापा मारा। दबिश के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल से जुड़े दस्तावेज मांगे तो अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल को बंद बता दिया।

इसके बाद जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो तीसरी मंजिल पर सडक हादसे में घायल 6 मरीज भर्ती मिले। इनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। यहां भर्ती मरीज ने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वह दलाल के माध्यम से अपने इलाज करने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन की टीम को बताया कि पहले इस अस्पताल का नाम स्मार्ट सिटी था लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। अब एप्पल अस्पताल के नाम से लाइसेंस के लिए दस्तावेज दिए गए हैं। फिलहाल एप्पल अस्पताल के नाम से कोई भी दस्तावेज मौके पर मौजूद नहीं है।

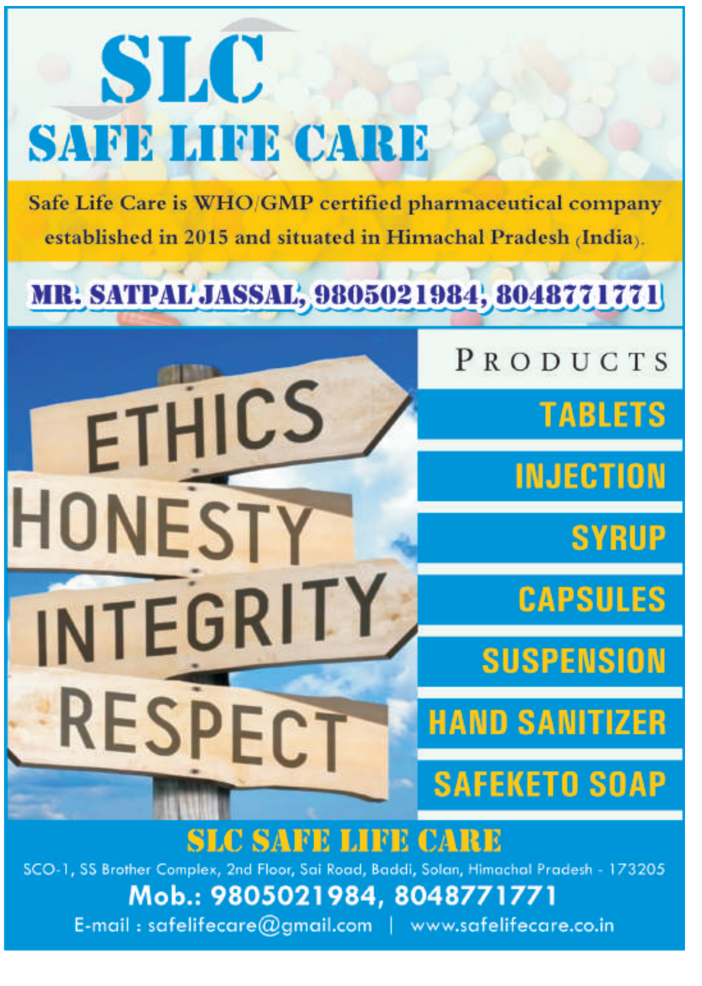

निजी अस्पतालों को राहत, हर साल नहीं कराना होगा नवीनीकरण

गोरखपुर : शासन ने निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरल. ीकरण कर बड़ी राहत दी है। यदि पंजीकृत अस्पताल का नाम, स्थान, सुविधा, डाक्टर व स्टाफ बदले नहीं हैं, डाक्टर ने कोई अतिरिक्त डिग्री नहीं ली है तो नवीनीकरण के लिए राहत मिलेगी। केवल संचालकों को सूचना देनी होगी कि अस्पताल की स्थिति यथावत है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोनिल को लेकर रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। याचिका में रामदेव ने कथित तौर पर दावा किया था कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज है और यह सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर नहीं है। यह याचिका योग गुरु, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा 2021 में दायर मुकदमे का हिस्सा है। इसमें दावे के संबंध में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से बयानों को हटाने की अंतरिम राहत मांगी गई है। मुकदमे के अनुसार, रामदेव ने श्कोरोनिलश के कोविड-19 का इलाज होने के बारे में निराधार दावे किए, जबकि इस दवा को सिर्फ इम्यूनो-बूस्टर होने के लिए लाइसेंस दिया गया था। वादी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादियों को आगे भी इसी तरह के बयान देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। रामदेव के वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह पतंजलि उत्पादों के विज्ञापनों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वचन से बंधे हैं, उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय में भी इसी तरह का बयान देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, वादी पक्ष के वरिष्ठ वकील ने अदालत से अंतरिम आवेदन पर आदेश पारित करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया वचन कानून के अनुपालन में नहीं होने वाले कारणात्मक बयान न देने के संबंध में था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि उनके समक्ष मामला विशिष्ट उदाहरणों से संबंधित है और उन्होंने आदेश सुरक्षित रख लिया।

ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , चंडीगढ़; यूनियन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ पंजाब (URDP); रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ और तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, हैदराबाद ने 2021 में रामदेव और अन्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। अधिवक्ता हर्षवर्धन कोटला के माध्यम से दायर अपने मुकदमे में, संघों ने प्रस्तुत किया है कि योग गुरु, जो एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, न केवल एलोपैथिक उपचारों बल्कि कोविड-19 टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में भी आम जनता के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत सूचना अभियान कुछ और नहीं बल्कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीति थी, जिसमें कोरोनिल भी शामिल है, जिसे उन्होंने कोविड-19 के लिए एक वैकल्पिक उपचार बताया था ।

वृद्धावस्था पर एम्स दिल्ली कर रहा अभूतपूर्व शोध

नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में जेरिएट्रिक मेडिसिन विभाग उम्र बढ़ने और दीर्घायु पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व कर रहा है। हाल के वर्षों में, दीर्घायु और उम्र बढ़ने से जुड़ी चर्चाएं केंद्र में हैं क्योंकि दुनिया भर के शोधकर्ता लंबे, स्वस्थ जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने की खोज ने गति पकड़ी है, जिससे पीढ़ियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से अभिनव अध्ययनों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस उत्कट खोज के बीच, एम्स दिल्ली उम्र बढ़ने के शोध के क्षेत्र में आशा की किरण बनकर उभरा है। अत्याधुनिक तकनीकों और बहु-विषयक दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए, उन्होंने उम्र बढ़ने और दीर्घायु की जटिलताओं को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू किया है। समर्पित वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की एक टीम द्वारा संचालित, शोध पहल उम्र बढ़ने के अंतर्निहित तंत्रों में गहराई से जाने का प्रयास करती है, जिसमें बाद के वर्षों में जीवनकाल और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आनुवंशिक, शारीरिक और पर्यावरणीय कारकों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से, शोधकर्ताओं का लक्ष्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की पेचीदगियों पर प्रकाश डालना है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त हो सके। शोध प्रयास का केंद्र विविध पृष्ठभूमि और आयु समूहों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी है। टीम सभी उम्र के सदस्यों वाले परिवारों की तलाश कर रही है: किशोर (10-19), माता-पिता और मध्यम आयु वर्ग के वयस्क (40-59), दादा-दादी (60-79), और यहाँ तक कि परदादा-परदादी (80+)। अध्ययन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संज्ञानात्मक, कार्यात्मक और पोषण संबंधी आकलन के साथ-साथ उन्नत रक्त-आधारित आकलन की एक श्रृंखला से गुजरना होगा जो उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। सभी प्रतिभागियों की गोपनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय लागू किए जाएंगे, जिसमें सख्त नैतिक दिशा-निर्देशों और नियामक मानकों के तहत डेटा को संभाला जाएगा।

"दोषी को निर्दोष बताने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जाए" -चाणक्य

बायोकॉन ने दक्षिण कोरिया की हैंडॉक के साथ क्रोनिक वेट मैनेजमेंट उत्पाद आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली: बायोकॉन लिमिटेड ने कहा कि उसने अपने जटिल दवा उत्पाद, सिंथेटिक लिराग्लूटाइड के व्यावसायीकरण के लिए दक्षिण कोरिया की हैंडॉक के साथ एक विशेष लाइसेंसिंग और आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उपयोग क्रोनिक वेट मैनेजमेंट के उपचार में किया जाता है। समझौते के तहत बायोकॉन दवा उत्पाद के विकास, विनिर्माण और आपूर्ति का कार्य करेगी, और हैंडॉक, एक विशेष दवा कंपनी, दक्षिण कोरियाई बाजार में विनियामक अनुमोदन और व्यावसायीकरण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी, कंपनी ने एक बयान में कहा। बायोकॉन के सीईओ और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मित्तल ने कहा, हैंडॉक के साथ साझेदारी, जो दक्षिण कोरिया में वजन प्रबंधन से निपटने वाले रोगियों को हमारे जीएलपी-1 पेप्टाइड दवा उत्पाद, सिंथेटिक लिराग्लूटाइड तक पहुंच प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा, यह दुनिया भर के रोगियों की अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव, सस्ती दवाओं के हमारे पोर्टफोलियो का विस्तार करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है। हैंडॉक मधुमेह के प्रबंधन में दक्षिण कोरिया की अग्रणी फर्मों में से एक है, जो निदान से लेकर उपचार और देखभाल तक कई समाधान पेश करती है। हैंडॉक के चेयरमैन यंगजिन किम ने कहा, मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए लिराग्लूटाइड एक महत्वपूर्ण दवा उत्पाद है। बायोकॉन के साथ हमारा सहयोग हैंडॉक को मोटापे के क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे रोगियों को लाभ होगा और हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त तेज होगी।

कैंसररोधी दवा ओलापारिब टैबलेट को वापस लेने के आदेश जारी

नई दिल्ली: कैंसररोधी दवा ओलापारिब टैबलेट को वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दवा नियामकों को निर्देश दिया है कि जिन रोगियों को तीन या अधिक बार कीमोथेरेपी दी जा चुकी है, उनके इलाज के लिए एस्ट्राजेनेका की कैंसर-रोधी दवा ओलापारिब टैबलेट को वापस ले लिया जाए। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने दवा नियामकों को निर्देश दिया है कि एस्ट्राजेनेका की कैंसर-रोधी दवा ओलापारिब टैबलेट को वापस लें। राज्य नियामकों को दवा के निर्माताओं को प्रतिकूल प्रभावों की संभावना को देखते हुए जीबीआरसीए म्यूटेशन और अंडाशयी कैंसर और स्तन कैंसर वाले रोगियों के इलाज के लिए दवा की मार्केटिंग को बंद करने के लिए कहा गया है। डीसीजीआई ने कहा कि अन्य अनुमोदित संकेतों के लिए दवा की बिक्री जारी रखी जा सकती है।

पत्र में कहा गया कि कंपनी एस्ट्रेजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड ने उन जीबीआरसीए म्यूटेशन और अंडाशयी कैंसर वाले रोगियों के इलाज में ओलापारिब टैबलेट 100 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम के संकेतों को वापस लेने के लिए उनके पास एक आवेदन भेजा है, जिनका इलाज तीन या उससे अधिक बार पहले कीमोथेरेपी से किया गया है। एसईसी (ऑन्कोलॉजी) विशेषज्ञों के परामर्श से मामले की समीक्षा बैठक की गई थी। कंपनी ने ओलापा. रिब टैबलेट के संकेत को वापस लेने के लिए नैदानिक (क्लिनिकल) साक्ष्य पेश किए।

जून माह के व्रत एवं त्यौहार

05.06.2024	पर्यावरणदिवस
06.06.2024	शनिजयंती
09.06.2024	महाराणा प्रताप जयंति
12.06.2024	बालश्रमनिषेध दिवस
14.06.2024	रक्तदानदिवस
16.06.2024	श्रीरामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस
21.06.2024	योगदिवस
26.06.2024	विश्व नशा विरोध दिवस

डेंटल क्लीनिक को लापरवाही पड़ी महंगी, मरीज को देना होगा 8 लाख का मुआवजा

हैदराबाद: डेंटल क्लीनिक को लापरवाही काफी महंगी पडने जा रही है। उपभोक्ता अदालत ने उसे मरीज को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। करीमनगर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हैदराबाद में एक निजी डेंटल क्लिनिक को कम सेवाएं प्रदान करने और उपचार में लापरवाही दिखाने के लिए एक मरीज को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह फैसला एक सरकारी कर्मचारी वोडनाला वेणु द्वारा दर्ज की गई शिकायत को संबोधित करता है, जो पार्थ डेंटल स्किन एंड हेयर क्लिनिक द्वारा की गई अनुचित दंत प्रक्रियाओं के कारण पीडित था।

वेणु मूल रूप से अक्टूबर 2020 में अपने सामने के ढीले दांतों और मसूड़ों से खून आने के इलाज के लिए क्लिनिक गए थे। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, क्लिनिक ने निदान किया कि वेणु के दांतों पर इनेमल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और मसूड़े ढीले हो गए थे। उन्होंने फुल-माउथ इम्प्लांट और हाइब्रिड डेन्चर की सिफारिश की, जिसके कारण वेणु को 3 लाख रुपये की कुल उपचार लागत के मुकाबले 50,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करना पड़ा। हालांकि, जनवरी 2021 में प्रत्यारोपण स्थापित होने के तुरंत बाद जटिलताएं पैदा हुईं। कठोर दंत स्वच्छता बनाए रखने के बावजूद, वेणु को सूजन और दर्द का अनुभव हुआ, जिससे अगले महीने क्लिनिक में और दौरे करने पड़े। मरीज के जबड़े के कई प्रत्यारोपण ढीले हो गए थे।

जांच में पता चला कि निचले जबड़े के कई प्रत्यारोपण ढीले हो गए थे। क्लिनिक ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर समस्या ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन सुधारात्मक प्रक्रिया में 15 दिन की देरी हो गई। स्थिति बिगड़ गई क्योंकि तीन प्रत्यारोपणों को दोबारा लगाने से सूजन बढ़ गई और अंतत:, निचले जबड़े में केवल दो प्रत्यारोपण ही सफलतापूर्वक स्थिर किए जा सके। इससे वेणु अस्थायी डेन्चर पर निर्भर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जबड़ों और एक मांसपेशी को अपूरणीय क्षति हुई। बहरहाल, क्लिनिक अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सका।

4 वर्ष तक घर बैठे यह समाचार पत्र पढ़ने के लिये हमारे पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 1824002100120081, IFSC Code - PUNB0145020 जो कि मैडीकल दर्पण के नाम से है, में रू० 500/- जमा कर अपना पूरा पता हमारे फोन नं०- 09045029158 पर SMS कर दें।

पूर्व फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार ने अयोग्य अभ्यर्थियों को दे दिए प्रमाण-पत्र

हैदराबाद: पूर्व फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार जी रामधन के खिलाफ अयोग्य उम्मीदवारों को फार्मेसी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप का मामला सामने आया है। कई छात्रों का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व रजिस्ट्रार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में उन लोगों को भी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जो फार्मेसी के दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में फेल हो गए थे। ऐसे ही एक मामले में, डिप्लोमा के भाग 2 के एक विषय में फेल होने वाले व्यक्ति को वर्ष 2022 में परिषद द्वारा पंजीकृत फार्मासिस्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के राजपत्र विनियमन में जारी फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, 2020 के अध्याय 1 के अनुसार फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता फार्मेसी में डिप्लोमा में उत्तीर्ण और फार्मेसी में डिप्लोमा का संतोषजनक समापन होगा। इसके अलावा, अध्याय 2 में कहा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम मानदंड सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना है, जिसमें दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सत्र के अंक भी शामिल हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र उन उम्मीदवारों को जारी किए गए जो कुछ विषयों में असफल रहे थे और इसलिए फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य थे। परिषद के पूर्व अध्यक्ष ए संजय रेड्डी के अनुसार परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करना फार्मेसी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन है। परीक्षा में असफल होने वाले सैकड़ों छात्रों को पूर्व रजिस्ट्रार के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। हमने सरकार से इन प्रमाण पत्रों को जारी करने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि अधिकारी वर्तमान में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के उप निदेशक हैं। संबंधित अधिकारी ने इस बारे में कहा कि उन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें उन परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं है जिनके तहत दस्तावेजों को उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था।

बैठक मे नई दवा के लिए खुदरा मूल्य तय करने के आवेदन कैंसिल

नई दिल्ली: नई दवा के लिए खुदरा मूल्य तय करने के कुछ कंपनियों के आवेदनों को राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसिल कर दिया है। इसमें इन दवाओं के लिए विनिर्माण कंपनी, सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स को फॉर्मूलेशन का उत्पादन शुरू करने की अनुमति मिलने पर नए सिरे से आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है। एनपीपीए के अनुसार हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले, प्राधिकरण ने दवा नियामक से जानकारी की कमी में विभिन्न विपणन कंपनियों के लिए सिनो. केम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित 11 दवा फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमत तय करने को टाल दिया था। प्राधिकरण ने इस संबंध में औषधि महानियंत्रक (भारत) और उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा।

गौरतलब है कि एसएलए ने एक पत्र के माध्यम से एनपीपीए को बताया था कि सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स का दवा विनिर्माण लाइसेंस आज की तारीख में वैध है। हालांकि, टैबलेट, कैप्सूल और सामान्य मौखिक तरल अनुभाग के लिए 23 फरवरी, 2024 को उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया गया था। इस मामले पर नियामक के स्पष्टीकरण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अपनी उत्तराखंड इकाई में लागू फॉर्मूलेशन का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी जाती है, तो विपणन कंपनियों के आवेदन खारिज किए जा सकते हैं। कंपनियां नए आवेदन दाखिल कर सकती हैं। प्राधिकरण ने 11 दवा फॉर्मूलेशन को भी सूचीबद्ध किया है, जिसके लिए खुदरा मूल्य निर्धारण के लिए आवेदन दायर किया गया था। कंपनी का कहना था कि वे स्पष्ट करना चाहेंगे कि सेक्टर 6ए के प्लॉट नंबर 35-36 पर स्थित प्लांट नंबर 1 का हमारा विनिर्माण लाइसेंस सीडीएससीओ या एफडीए उत्तराखंड द्वारा न तो निलंबित किया गया है और न ही कैंसिल किया गया है। दिए गए निर्देश केवल प्लांट 1 के जनरल ब्लॉक की लाइनों के उत्पादन को रोकने तक सीमित हैं और इस नोटिस के कारण कंपनी के अन्य सभी परिचालन प्रभावित नहीं होंगे। हमने नियामक को सुधारात्मक और निवारक कार्य योजना दायर की है और हमारे द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों को सत्यापित करने और पहले के निर्देशों को कैंसिल करने पर विचार करने के लिए सीडीएससीओ और उत्तराखंड एफडीए के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा सुविधा के पुन: निरीक्षण के लिए स्लॉट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि जिन फॉर्मूलेशनों के लिए मूल्य निर्धारण को टाल दिया गया है, उनमें डैपाग्लिफ्लोजिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन और टेनेलिग्लिप्ट, टेल्मिसर्टन और सिल्नीडिपाइन टैबलेट सहित विभिन्न फॉर्मूलेशन शामिल हैं।

नकली दवा की बिक्री, 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द

आगरा: नकली दवा की बिक्री किए जाने का खुलासा हुआ है। ड्रग विभाग की टीम ने आगरा के कई मेडिकल स्टोरों से लिए गए दवाओं के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। अब इनकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें ये सैंपल फेल पाए गए हैं। 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं।

आगरा में बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं और खांसी के सिरप की सप्लाई होती हैं। इसके चलते ड्रग विभाग की टीम ने कई मेडिकल स्टोरों से दवाओं के 39 सैंपल लिए थे। इसमें 20 सैंपल एंटीबायोटिक टेबलेट, 5 गैस के कैप्सूल और 14 खांसी के सिरप के सैंपल शामिल थे। लैब में दवाओं के सैंपल की जांच की गई तो वे फेल मिले। तब जाकर नकली दवाओं की बिक्री का मामला सामने आया। रिपोर्ट आने के बाद 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। बाजार में जिन कंपनियों के नाम से नकली दवा बेची जा रही हैं, उनमें प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर, हिमालिया मेडिटेक, कैडिला हेल्थ केयर, अल्फा प्रॉडक्ट, एबॉट हेल्थकेयर, विंग्स सहित नामी कंपनियां शामिल हैं। दवाओं के सैंपल फेल होने पर ड्रग विभाग के एसिस्टेंड कमिश्नर अतुल उपाध्याय ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की गई है। उन्होंने आमजन से अपील की कि दवा लेते समय जागरूक होना चाहिए। दुकानदार से बिल मांगे और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही दवा खरीदें।

स्थानीय फार्मा कंपनियां जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के लिए कतार में

मुंबई : मैनकाइंड फार्मा, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज और टोरेंट फार्मा उन कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने केकेआर से जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है, इस घटनाक्रम से अवगत कई लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि इस सौदे पर विचार करने वाले कुछ बड़े निजी इक्विटी फंड उच्च मूल्यांकन से हतोत्साहित हैं, उन्होंने कहा कि बोलियों का पहला दौर कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद है। कोटक महिंद्रा बैंक बिक्री का काम संभाल रहा है। केकेआर की निवेश शाखा, टीएयू इन्वेस्टमेंट , जेबी केमिकल्स में 53.78% की हिस्सेदारी रखती है , जिसकी कीमत गुरुवार को कारोबार बंद होने पर 26,070 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के आधार पर 14,020 करोड़ रुपये है। केकेआर ने जुलाई 2020 में संस्थापक मोदी परिवार से लगभग 3,100 करोड़ रुपये या 745 रुपये प्रति शेयर की दर से हिस्सेदारी हासिल की। जेबी गुरुवार को बीएसई पर 1.1% की गिरावट के साथ 1,683 रुपये पर बंद हुआ। हिस्सेदारी की बिक्री से जनता के पास 26% तक शेयरों के लिए खुली पेशकश होगी। केकेआर और जेबी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

डॉ रेड्डी के प्रवक्ता ने कहा, एक नीति के रूप में, हम किसी भी बाजार की अफवाहों और अटकलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। मैनकाइंड और टोरेंट फार्मा ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। केकेआर के स्वामित्व में, जेबी केमिकल्स का राजस्व वित्त वर्ष 20 में 1,606 करोड़ रुपये से दोगुना होकर वित्त वर्ष 24 में 3,484 करोड़ रुपये हो गया।

केकेआर ने अक्टूबर 2020 में सिप्ला के अनुभवी निखिल चोपड़ा को जेबी के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया जेबी ने पिछले चार वर्षों में 200 मिलियन डॉलर का निवेश करके चार अधिग्रहण किए हैं - प्रोबायोटिक सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए सैनजाइम, नोवार्टिस से हार्ट फेलियर की दवा अजमार्दा, डॉ रेड्डीज से चार बाल चिकित्सा ब्रांड और ग्लेनमार्क से कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला पोर्टफोलियो। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में स्विस बहुराष्ट्रीय दिग्गज नोवार्टिस के साथ 964 करोड़ रुपये में 15 नेत्र चिकित्सा दवाओं के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । यह अधिग्रहण जनवरी 2027 से प्रभावी है। हालांकि भारतीय फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र वैश्विक पीई फंडों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है, लेकिन वे उच्च मूल्यांकन का हवाला देते हुए जेबी केमिकल्स पर जोर नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार, एक शुद्ध जेनेरिक दवा निर्माता के लिए एबिटा का 25-30 गुना मूल्यांकन उचित नहीं है। संभावित सौदे से पीछे हटने का फैसला करने वाले पीई फंड मैनेजरों में से एक ने कहा, निजी इक्विटी के नजरिए से, पांच से सात साल की अवधि के लिए अधिग्रहण की अधिक कीमत व्यवहार्य नहीं है। हालांकि, अधिग्रहित संपत्ति के वरिष्ठ नेतृत्व को हटाकर रणनीतिक रूप से निश्चित ओवरहेड्स को काफी कम किया जा सकता है।

वोकल लोकल्स भारतीय दवा कंपनियाँ अपनी स्थानीय उपस्थिति को मजबूत करने के लिए घरेलू निर्माताओं का अधिग्रहण करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रही हैं। कंसल्टिंग फर्म डेलोइट में इंडिया लाइफ साइंसेज और हेल्थकेयर लीडर, पार्टनर चारू सहगल ने कहा, घरेलू दवा उद्योग में कंपनियों के सामने आने वाली विकास चुनौतियों को दूर करने का तरीका अकार्बनिक है। जेबी केमिकल्स के लिए बोली लगाने के अलावा, मैनकाइंड मुंबई स्थित बायोफार्मा फर्म भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स के लिए भी दावेदारों में से एक है, जो निजी इक्विटी एडवेंट से लगभग 2 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर है। इसने पहले मेडिकल डिवाइस कंपनी हेल्थियम मेडटेक के लिए बोली लगाने के लिए पीई फंड क्रिसकैपिटल के साथ हाथ मिलाया था।

नशे में उपयोग होने वाली दवाइयों की बिना बिल बिक्री

कोटा: कोटा में नशे के रूप में औषधीयो के दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में आज प्रहलाद मीणा सहायक औषधि नियंत्रक कोटा के निर्देशन में संतोषी नगर चौराहे स्थित कोटा मेडिकल स्टोर पर दिनेश कुमावत एवं योगेश कुमार औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा द्वारा कार्रवाई की गई। दिनेश कुमावत औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा ने बताया कि कोटा स्थित थोक विक्रेताओं से नशे के रूप में उपयोग में ली जाने वाली औषधियों के विक्रय रिकॉर्ड के आधार पर आज संतोषी नगर चौराहा पर स्थित कोटा मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई कार्रवाई के दौरान फर्म द्वारा नशे के रूप में उपयोग में ली जाने वाली लगभग 1000 अविल इंजेक्शन 63 कोडिन सिरप एवं 100 स्पास्मो प्रॉक्सीवों कैप्सूल को बिना डॉक्टर की पर्ची एवं बिना बिल के बेचना पाया गया निरीक्षण के दौरान फर्म में विक्रय बिल संधारण के लिए कोई कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं पाया गया उक्त फर्म को लाइसेंस अगस्त 2023 में दिया गया था एवं उक्त फॉर्म ने मात्र 8 महीनों में भारी मात्रा में नशे के रूप में उपयोग में आने वाली औषधीया खरीदी एवं बिना डॉक्टर की पर्ची के आम जन को बेच दी गई मौके पर फर्म की निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई है।

दवा के सैंपल मिले फेल, 10 दवाओं की सप्लाई पर बैन

जयपुर: दस दवा के सैंपल फेल पाए जाने पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने दवाओं की सप्लाई पर बैन लगा दिया है। 8 कम्पनियों को दवा की सप्लाई के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आरएमएससी की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि के अनुसार मै. अग्रोन रेमेडीज को कफ सिरप व क्लोरमफेनिकल आई ड्रॉप 0.5%, मै. अलायन्स बायोटेक को हाइड्रोकोर्टीसोन सोडियम इंजेक्शन, मै. एएनजी लाइफ साइंसेज को आर्टसुनेट इंजेक्शन, मै. लिनस लाइफ केयर को डोरजोलामाइड आई ड्रॉप 2%, मै. मैक्सवेल लाइफ साइंसेज को सालब्यूटामॉल सिरप के सैंपल फेल पाए जाने पर दवाओं की सप्लाई प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि मै. मेडीपोल फार्मास्यूटिकल को डोमपेरिडोन सस्पेंशन, मै. सँमकेम को आयरन एंड फोलिक ऐसिड सिरप व लिक्विड पैराफिन तथा मै. स्कॉट एडिल को इट्राकोनाजोल कैप्सूल के सैंपल मानकों पर खरे नहीं पाए जाने पर दवाओं की सपलाई के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

बताया गया कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में दवाओं की खरीद एवं आपूर्ति के प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आईसीजेएस की राज्य स्तरीय समिति की बैठक

जयपुर: प्राप्त समाचार के अनुसार मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईसीजेएस 2.0 हेतु तैयार कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जायेगा। श्री पंत ने कहा कि यह गर्व का विषय है की इस वर्ष राजस्थान में ई-अभियोजन, ई-जेल एवं क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में अन्य राज्यों की तुलना मे बेहतर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी इसलिए इसकी शीघ्र सफल क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि 'वन डेटा, वन एंट्री' के सिद्धांत पर बनाये जा रहे आईसीजेएस 2.0 का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के पांच स्तंभों पुलिस, ई-अभियोजन, ई-जेल, ई-न्यायालय, ई-फोरेंसिक को एकीकृत कर डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान करना है। एनसीआरबी को इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है जो एनआईसी के सहयोग से कार्य करेगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री यू.आर.साहू, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग श्री नरेश कुमार ठकराल, शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी सुश्री आरती डोगरा, पुलिस एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा निदेशक एनआईसी श्री शशिकांत, रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय श्री बालकृष्ण विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में आईसीजेएस 2.0 हेतु तैयार कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

दिल्ली के बाल चिकित्सालय में लगी आग, 7 नवजात बच्चों की मौत के बाद अस्पताल का मालिक गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बच्चों के अस्पताल नवीन किची के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। एक दुखद घटना में, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक निजी बच्चों के अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें सात नवजात शिशुओं की जान चली गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अधिकारियों ने बताया कि आग रात में बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में लगी और जल्दी ही दो आस-पास की इमारतों में फैल गई। 16 दमकल गाड़ियों की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका, इससे पहले कि यह विकराल रूप ले ले। अस्पताल की दो मंजिला इमारत में ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे, जो भीषण गर्मी के कारण फट गए, जिससे आस-पास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक अन्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, आग ने दो बुटीक, इंडसइंड बैंक का एक हिस्सा, भूतल पर एक दुकान, एक एम्बुलेंस और इमारत के बाहर खड़ी एक स्कूटर को भी प्रभावित किया। अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने शोक संतप्त माता-पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आश्वासन दिया कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने आग में अपने बच्चों को खो दिया है और घायलों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करेगी। डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने पुष्टि की कि हालांकि 12 नवजात शिशुओं को अस्पताल से बचा लिया गया था, उनमें से सात ने दम तोड़ दिया। पांच शिशुओं का वर्तमान में दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ को मामूली जलन हुई है।

पैरासिटामोल सीबी ओरल सिरप का सैंपल मिला फेल, अस्पतालों में दवा सप्लाई रोकी

जबलपुर (मप्र)। पैरासिटामोल सीबी ओरल सिरप का सैंपल जांच में फेल पाए जाने पर अस्पतालों में दवा सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। इसे सरकारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दिया गया था। रानी दुर्गावती चिकित्सालय (एल्गिन) में बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में उपयोग किए जा रहे पैरासिटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल संस्पेशन की जांच भोपाल स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में करवाई गई। जांच में यह सैंपल फेल मिला। यह सिरप क्वेस्ट लेबोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की है, जिसकी निर्माण इकाई है धार जिले के पीथमपुर में है। सिरप निर्माता के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इधर, स्वास्थ्य विभाग भी संबंधित दवा की अन्य स्थानों पर की गई सप्लाई की जानकारी जुटाने में लग गया है। हैरानी की बात यह है कि जांच में अमानक पाई गई इस दवा की रिपोर्ट जब तक मिली, तब तक इस सिरप की खुराक हजारों बच्चों को दी जा चुकी थी। बताया गया है कि संबंधित दवा सरकार के निर्धारित कार्पोरेशन के माध्यम से खरीदी गई है। औषधि प्रशासन विभाग ने गत वर्ष 13 जुलाई को अस्पताल से पैरासिटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल संस्पेशन का सैंपल लिया था। राज्य प्रयोगशाला से सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट इस वर्ष मार्च माह में प्राप्त हुई है।

जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती,
परन्तु कमाल की बात यह है कि ये आपकी सारी हड्डीयां तुड़वाने की ताकत रखती है.

अवैध अस्पताल पर छापा, क्लिनिक छोड़कर भागा झोलाछाप

बीकानेर: अवैध अस्पताल आशीष मेडिकल नाम से संचालित पर दबिश दी। क्लीनिक का मालिक झोलाछाप क्लीनिक छोडकर भाग निकला। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉ. देवेंद्र चौधरी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहित सिंह तंवर की टीम ने कोलायत ब्लॉक क्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों पर दबिश दी। वहीं, बीकानेर शहरी क्षेत्र में सर्वोदय बस्ती में अनधिकृत रूप से प्रैक्टिस कर रहे मेडिकल स्टोर संचालक पर भी कार्रवाई की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बज्जू के नजदीक ही बालाजी हॉस्पिटल नाम से 30 बेड का अस्पताल बिना चिकित्सक व बिना पंजीकरण के संचालित मिला। यहां ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे, लैब सहित कई सेवाओं का अनाधिकृत रूप से संचालन पाया गया। टीम ने इसे तत्काल सीज कर दिया। दूसरी ओर आरडी 860 में हरिओम क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर पर दबिश की गई। यहां संचालक द्वारा परिसर को ताला लगाकर छुपाने का प्रयास किया गया परंतु अंदर से मरीजों के चिल्लाने पर ताला खुलवाया तो अंदर लैब सहित 10 बेड अस्पताल का अवैध संचालन मिला। यहां मरीजों का इलाज किया जा रहा था। अर्थात संचालक ने मरीज सहित अस्पताल को ताला लगा दिया था। इस अनाधिकृत अस्पताल को भी लैब व मशीनों सहित सीज कर दिया गया है। जांच दल आरडी 820 पहुंचा तो यहां आशीष मेडिकल नाम से संचालित झोलाछाप क्लीनिक का मालिक क्लीनिक छोडकर भाग निकला। उसकी सामग्री सहित दुकान को सीज कर दिया गया। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरडी 820 का निरीक्षण करने पर यहां पांच कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए।

नशीली टेबलेट्स सहित एक काबू, 990 टेबलेट्स जब्त

बालाघाट: 990 नशीली टेबलेट्स समेत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र में अवैध रुप से नशीली गोली (साइकोट्रोपिक ड्रग) की सूचना मिली थी। पुलिस ने बायपास रोड के पास दबिश देकर नशीली गोली बेचने का प्रयास कर रहे एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ मे आरोपी युवक नीलचंद (42) निवासी भरवेली बताया। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने साइकोट्रोपिक ड्रग के 99 पत्ते यानी 990 नशीली गोलियों को जब्त किया।

अस्पताल में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में कर रहे मरीजों का इलाज

बेंगलुरुः कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के मोलकालमुरू में एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को लगातार बिजली कटौती के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की जांच के लिए टॉर्च, मोबाइल फोन टॉर्च और मोमबत्तियों का सहारा ले रहे हैं।

अस्पताल की भयावह स्थिति को दिखाने वाला एक वीडियो, जिसमें स्टाफ सदस्य पर्याप्त रोशनी के बिना देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है। अस्पताल प्रबंधन कथित लापरवाही के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गया है, क्योंकि बैकअप जनरेटर लगभग एक सप्ताह से काम नहीं कर रहा है।

निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से रजिस्टर्ड किया, ओएसडी सस्पेंड

नई दिल्लीः निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से रजिस्टर्ड करने के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत दर्ज होने के समय आरोपी ओएसडी नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) डॉ. आरएन दास को एक निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से पंजीकृत करने के मामले में निलंबित कर दिया। सतर्कता निदेशालय के विशेष सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि आरोपी दास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। शाहदरा में एक निजी सुविधा सहित आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग होम को लाइसेंस जारी करने के बारे में पुरानी शिकायत मिली थी।

मेडिकल कॉलेज में गोद में मरीज लेकर भटकता रहा तीमारदार

तिर्वाः मेडिकल कॉलेज में तैनात आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बीमार मरीज को गोद में लेकर तीमारदार भटकता रहा। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिली। गोद में मरीज को लेकर भटकते हुए तीमारदार की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं।

क्षणिकाएं

1. लोगों की, अच्छाई को ढूंढ पाओ, उसे अपनाओ।
2. यात्रा को, चलाते जाइए। तब तक, मुस्कुरापाइये
3. सकारात्मक, बन जाओगे। कई रोगों को, भगा पाओगे।
4. तोल-तोल, कर बोलो। न कि बोलो, फिर तोलो।
5. जिद कर लो, कुछ कर जाना है। इस जन्म को, सफल बनाना है।
6. सोच को, सरल बनाओ। उलझनें, दूर करते जाओ।

नरेन्द्र नाथ लाहा, 9826611169

नीरू गर्ग स्वामी की ओर से ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा प्रकाशित, ब्रजेश कुमार गर्ग द्वारा मुद्रित तथा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एण्ड पैकिंग लिमिटिड नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में मुद्रित एवं के० पी० रोड, बुलन्दशहर से प्रकाशित, सम्पादक - ब्रजेश कुमार गर्ग